BCCI BULLETIN

Vol. XXXXIX | June 2018 | No. 5

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

माननीय परिवहन मंत्री एवं परिवहन सचिव के साथ चैम्बर में संवाद आयोजित

- व्यावसायिक भारी वाहनों का परिचालन जे० पी० सेतु से कराने को विचार किया जायेगा • बिहार से दिल्ली व नेपाल के लिए बसों का परिचालन शीघ्र होगा। – परिवहन मंत्री
- महानगरों की तरह राजधानीवासियों को घर तक मिलेगी प्राइवेट टैक्सी की सुविधा • एग्रीगेट पॉलिसी के तहत प्राईवेट टैक्सी चलाने का लाईसेंस होगा निर्गत। – परिवहन सचिव
- सर्वक्षमा योजना की तिथि का हो विस्तार • चिह्नित 3284 मार्गों पर बसों का हो परिचालन • रात 10 बजे तक हो सिटी बसों का परिचालन। – चैम्बर अध्यक्ष

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः माननीय परिवहन मंत्री श्री संतोष कुमार निराला एवं परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल। दाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 20 जून, 2018 को माननीय परिवहन मंत्री श्री संतोष कुमार निराला एवं परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल तथा चैम्बर सदस्यों के साथ संवाद का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की।

अपने स्वागत सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि मैं माननीय मंत्री जी एवं परिवहन सचिव जी का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने चैम्बर के सदस्यों को परिवहन विभाग से सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श एवं परिवहन विभाग की भावी कार्य योजना के सम्बन्ध में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को विस्तृत जानकारी देने हेतु हमारे बीच पधारने की कृपा की है। आपको विदित होगा कि परिवहन विभाग राज्य में परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कृतसंकल्पित है जिससे आमलोग सहजता से एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकें।

पटना के आम नागरिकों के साथ-साथ राज्य के विभिन्न भागों से कार्यवश पटना आने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुगम एवं सरल बनाने के लिए प्रारम्भ की गई परिवहन सेवा को बेहतर बनाने का आपका प्रयास काफी प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। गाँधी मैदान से दानापुर, गाँधी मैदान से दानापुर रेलवे स्टेशन, गाँधी मैदान से एम्स के साथ ही आपने पटना का प्राचीन एवं सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र पटना सिटी तक परिवहन सेवा की शुरूआत से कंकड़बाग, अगमकुआँ, गुलजारबाग के लोगों को काफी सुविधा हो रही है। परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के घर डाक के माध्यम से ई-चालान भेजे जाने का प्रावधान भी काफी सराहनीय है।

परिवहन विभाग द्वारा निजी वाहनों का व्यवसायिक में परिवर्तन की सुविधा को सुगम बनाने का आपका प्रयास भी काफी सराहनीय है। आपने इसके कार्यान्वयन के लिए सभी संयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। आशा है इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा तथा इससे काफी लोग लाभान्वित होंगे ।

चैम्बर अध्यक्ष ने माननीय मंत्री जी एवं परिवहन सचिव का निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया:-

- सुबह से पूरे दिन तो कारगिल चौक पर बराबर हर मार्ग की बसें लगी रहती हैं लेकिन अपराह्न आठ बजते ही एक भी बस दिखाई नहीं देती है जबकि पटना में कई बड़े-बड़े दुकान एवं शोरूम हैं जो रात्रि नौ बजे के बाद ही बन्द होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को रात्रि में जाने में असुविधा होती है अतः कारगिल चौक से खुलनेवाले सभी मार्गों की बसों को कम-से-कम रात्रि दस बजे तक चलाया जाए।
- परिवहन विभाग द्वारा व्यावसायिक/मालवाहक वाहन तथा ट्रैक्टर-

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

बैंकों द्वारा सिक्के स्वीकार नहीं किये जाने से व्यवसायियों को हो रही कठिनाईयों के संबंध में मैंने कई माध्यमों से राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा आर.बी.आई. का ध्यान आकृष्ट किया है। फलस्वरूप आर.बी.आई. के तरफ से सभी बैंकों को सिक्के जमा लेने का आदेश जारी किया गया है। फिर भी आपको परेशानी हो रही हो तो हमें लिखित सूचना दें ताकि हम उसे बैंकों के उच्चाधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध कर सकें।

राज्यस्तरीय बैंकर्स कमीटी की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने बैंकों को राज्य में सी.डी. रेशियो 50 प्रतिशत तक करने, समुचित मात्र में लोन देने एवं बैंकों की शाखाओं को बिहार की जनसंख्या के अनुपात में विस्तारित करने की जो हिदायत दी है वह काफी सामयिक एवं महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं।

दिनांक 25 मई 2018 को पुलिस महानिदेशक बिहार, श्री के. एस. द्विवेदी के साथ चैम्बर में बैठक हुई थी और पुलिस के वरीय अधिकारीगण भी बैठक में सम्मिलित थे। बैठक में राज्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति पर डी.जी.पी. महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। बैठक काफी सार्थक एवं उपयोगी रही। बैठक से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बुलेटीन के इसी अंक में प्रकाशित की गयी है।

दिनांक 20 जून 2018 को माननीय परिवहन मंत्री, बिहार श्री संतोष कुमार निराला एवं परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल के साथ चैम्बर प्रांगण में बैठक हुई। इस बैठक में राज्य में परिवहन व्यवस्था को सहज एवं सुगम बनाने के लिए विचारों का आदान-प्रदान हुआ। यह बैठक काफी लाभप्रद रही। इस बैठक की संक्षिप्त रिपोर्ट भी बुलेटीन के इसी अंक में प्रकाशित है। आप अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराते रहें ताकि हम उसके समाधान हेतु अपनी ओर से प्रयास कर सकें।

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

ट्रेलर के लिए सर्वक्षमा योजना लाया गया है जो स्वागत योग्य है। उसकी आखिरी तिथि 30 जून 2018 है। इसकी तिथि का विस्तार करते हुए इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है ।

- परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी वाहनों के लिए High Security Registration Plate (HSRP) लगाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन इसके वेंडर की संख्या काफी कम होने के कारण लोगों को असुविधा हो रही है अत: High Security Registration Plate (HSRP) लगाने वाले वेंडर की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।
- राज्य की आम जनता को एक जगह से दूसरे जगह सहजता से जाने के लिए सरकार द्वारा राज्य में चिन्हित कुल 3284 मार्गों पर भी शीघ्र परिचालन प्रारम्भ किया जाना चाहिए।
- ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर ट्रैक्टर ट्रेलर के पीछे में रिफलेक्टर या रेडियम स्टीकर नहीं लगे होने के कारण खासकर रात के समय पीछे से आने वाले वाहन जब काफी नजदीक पहुँच जाते हैं तो उन्हें यह दिखाई देता है कि यह ट्रैक्टर का ट्रेलर है। ऐसी परिस्थिति में बराबर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है क्योंकि हाईवे पर चलने वाले वाहनों की गति अधिक होती है। अत: हमारा सुझाव है कि इस प्रकार के वाहनों के लिए रिफलेक्टर या रेडियम स्टीकर लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए और यदि चालक द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए तथा इसी तरह की व्यवस्था सभी ट्रकों के लिए भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- नालन्दा जिला प्रशासन द्वारा व्यवसायिक वाहनों का इसलामपुर में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मानपुर फतुहा राजमार्ग, एकंगरसराय, हिलसा में पूर्वाह्न 6 बजे से अपराह्न 9 बजे तक व्यवसायिक वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है जबकि वाहनों से राजमार्गों एवं राष्ट्रीय मार्गों के लिए रोड टैक्स लिया जाता है। यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अत: यातायात को सहज बनाने के लिए नालन्दा जिला प्रशासन को चाहिए कि अतिक्रमण हटाया जाए और यदि आवश्यक हो तो पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए।
- दीघा ब्रीज (जे० पी० सेतु) को व्यावसायिक वाहनों के लिए खोला जाना चाहिए क्योंकि महात्मा गाँधी सेतु पर मरम्मती का कार्य चलने के कारण व्यावसायिक वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- परिवहन विभाग को सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले जन-धन की हानि को कम कम करने एवं उसे नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिला में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा इसकी बैठक नियमित रूप से हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- मोटर वाहन नियम 1988 के अनुसार 3000 किलोग्राम से कम वजन के वाहनों को परमिट की आवश्यकता नहीं है परन्तु व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा वैसे वाहनों से भी परमिट की मांग करके उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। अत: इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किया जाना चाहिए।

माननीय परिवहन मंत्री श्री संतोष कुमार निराला को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में माननीय परिवहन मंत्री श्री संतोष कुमार निराला।

- परमिट की व्यवस्था सरल एवं सहज बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित कर इसे ऑन लाईन किया जाना चाहिए।
- बढ़ते व्यावसायिक वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दुरूस्ती जाँच केन्द्रों (Fitness Testing Stations) की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए।
- ई-रिक्शा पर नियंत्रण की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कम उमर के लोग उसे चलाते हैं तथा यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं। रात के समय हेड लाइट में प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था नहीं होती है। बहुत से ई-रिक्शा में कोई नम्बर प्लेट भी नहीं होता है।
- पेमेन्ट की ऑन लाइन व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- लम्बी दूरी के वाल्वो एवं अन्य लक्जरी बसों में स्लीपर की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए।

माननीय परिवहन मंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि राज्य में परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए समूहक (एग्रिग्रेटर) पॉलिसी लायी जायेगी। इसमें ओला, उबर व मोटर बाईक से वेब बेस्ड तकनीक के आधार पर लोगों को परिवहन की सुविधा मिलेगी। लोग भाड़े पर छोटे-छोटे वाहनों का उपयोग कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि व्यावसायिक भारी वाहनों का जे० पी० सेतु पर परिचालन हेतु पथ निर्माण मंत्री से वार्त्ता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जायेगा। उत्तर बिहार में बालू और अन्य निर्माण सामग्रियों की हो रही किल्लत के आलोक में यह तैयारी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिले में सड़क सुरक्षा पर्षद की बैठक शुरू हो गयी है, यह अच्छी पहल है। सड़क सुरक्षा को लेकर अन्य विभागों के साथ शार्ट, मीडियम एवं लांग टर्म पर काम करने की तैयारी शुरू हो गयी है।

परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि नेपाल के साथ बस सेवा शीघ्र शुरू होने वाली है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बिहार से दिल्ली के लिए भी बस सेवा शीघ्र शुरू होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006-07 में परिवहन विभाग को मात्र 200 करोड़ की राजस्व प्राप्ति होती थी जो अब 1800 करोड़ तक की हो गयी है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार माह में परिवहन विभाग द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों से आमलोगों को काफी सुविधाएं मिल रही है।

परिवहन मंत्री ने चैम्बर एवं अन्य व्यावसायिक संगठनों की मांग पर कहा कि इसपर सकारात्मक विचार किया जायेगा।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने विभाग द्वारा की जा रही व्यवस्था के बारे विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि नये वाहनों की खरीददारी करने वाले वाहन मालिकों को अब छह घंटे में रजिस्ट्रेशन उपलब्ध करा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि ओला जैसी एजेंसियाँ बिहार आयें आम लोगों को मोबाईल पर गाड़ी मिल जाये, इसके लिए नीति निर्धारित की जायेगी। ऑनलाईन ड्राइविंग लाईसेंस, गाड़ियों की परमिट, ई-चालान, टैक्स, रजिस्ट्रेशन आदि की सुविधा दी जा रही है।

शहर में परिचालित बसों में प्रत्येक दिन 28 हजार तक लोग सफर कर रहे हैं। फलस्वरूप तीन लाख तक की आय हो रही है। पटना के बाहर भी लोग हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करें, उसके लिए हर शनिवार को जाँच अभियान चल रहा है।

सड़क पर पैदल कैसे चलें, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि बिहार देश के उन तीन शीर्ष राज्यों में है जहाँ सबसे अधिक गाड़ियाँ बिक रही हैं। सीटी बस सर्विस में ड्राईवर एवं कंडक्टर वर्दी पहनेंगे, इसका भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में सीटी बस की और भी बेहतर सुविधाएं एवं सेवाएं मिलेगी। बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर 100 से 500 रूपये जुर्माना वसूला जायेगा। इसके लिए दो टीमों को जाँच के लिए लगाया गया है। महानगरों की तरह राजधानी के लोगों को प्राईवेट टैक्सी की सुविधा घरों तक मिलेगी। इसके लिए सरकार नीति बनाने जा रही है।

इस अवसर पर बिल्डर एसोसियेशन ऑफ इंडिया पटना चैप्टर, क्रेडाई, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, बिहार ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन एवं अन्य संगठनों ने अपनी भी अपनी समस्याएं बताई एवं सुझाव दिये।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी सहित चैम्बर के सदस्य व मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

चैम्बर में पुलिस महानिदेशक, बिहार के साथ बैठक

• व्यवसायी सजग हों तो अपराध का ग्राफ गिर जायेगा • थानों में शिकायत पेटियाँ लगेगी • बैंकों से बड़ी राशि निकालनी हो तो पुलिस को सूचित करें • आपराधिक मामलों में पुलिस का करें सहयोग – डी०जी०पी०

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 25 मई, 2018 को श्री के० एस० द्विवेदी, पुलिस महानिदेशक बिहार के साथ राज्य की विधि-व्यवस्था एवं यातायात को सुगम बनाने के विषय पर चर्चा हेतु एक बैठक आयोजित हुई।

अपने स्वागत सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि मीडिया एवं अन्य माध्यमों से हमें पुलिस महानिदेशक के द्वारा लिये जा रहे अन्वेशी एवं प्रगतिशील कदमों की जानकारी मिलती रही है जिसके माध्यम से आप बिहार पुलिस बल को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हम राज्य की आम जनता की भलाई के प्रति आपकी संवेदनशीलता तथा आपकी सरलता से भी पूर्ण परिचित हैं।

किसी भी राज्य के आर्थिक समृद्धि में व्यवसायियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और अपराधी तत्वों का शिकार भी यही समाज होता है। महोदय, घटनाओं में त्वरित उद्भेदन से व्यवसायी समाज में आत्मविश्वास बढ़ता है साथ ही अपराधियों का मनोबल गिरता है। अपराध पर नियंत्रण एवं अपराधियों के मन में पुलिस का भय हो इसके लिए पुलिस को भी आधुनिक तकनीक एवं कानूनी शक्तियों से लैस होना

पुलिस महानिदेशक श्री के० एस० द्विवेदी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत् करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

अपर पुलिस महानिदेशक श्री एस० के० सिंघल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत् करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

अपर पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत् करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ।

अपर पुलिस महानिदेशक श्री जे० एस० गंगवार को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत् करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

आवश्यक है। अध्यक्ष ने कुछ प्रमुख सुझावों पर डीजीपी का ध्यान दिलाया:-

अद्यतन तकनीक से पुलिस बल का आधुनिकीकरण : पुलिस बल को अति आधुनिक हथियार, सूचना तकनीक एवं आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से सुसज्जित करना नितान्त आवश्यक है। अद्यतन सूचना तकनीक के उपकरण पुलिस प्रशासन को अपराध पर नियंत्रण में बड़ी सहायता पहुँचा सकती है। पुलिस स्टेशनों को और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है।

बड़े पुलिस थानों के अर्न्तगत ज्यादा पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना : पटना शहर में गाँधी मैदान, कदमकुआँ, पीरबहोर, पाटलिपुत्र, बुद्धा कोलोनी, आलमगंज, सुल्तानगंज, खाजेकला, सिटी चौक जैसे थानों का अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसलिए इन थानों में पुलिस प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये इनके अर्न्तगत ज्यादा आउट पोस्ट स्थापित करने की आवश्यकता है। जजेज कोर्ट रोड में भी एक पुलिस आउट पोस्ट स्थापित किया जाना चाहिये।

दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग : दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग अत्यन्त प्रभावी होती है। हाल के दिनों में दुपहिया वाहन से पेट्रोलिंग आरंभ तो की गयी है परन्तु यहाँ की संकीर्ण गलियों की अधिकता को देखते हुए उनकी संख्या को बढ़ाने एवं उसे और कारगर बनाने की आवश्यकता है तथा दुपहिया वाहन के जरिये अधिक से अधिक पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने की जरूरत है। पटना पुलिस की पुलिस गश्ती साईकिल द्वारा कराने का निर्णय स्वागतयोग्य कदम है इसका प्रयोग राज्य के अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।

निजी वाहनों की जाँच : बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद अवैध व्यवसाय में लगे लोगों पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा निजी वाहनों की जाँच की जाती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिस निजी वाहन में आपत्तिजनक वस्तु नहीं प्राप्त होती है उस वाहन को भी केवल नकद रूपया ले जाने के कारण रोक कर परेशान किया जाता है।

आपको विदित है कि व्यवसायी को विभिन्न उद्देश्यों यथा- माल के क्रय- विक्रय, बैंक में जमा करने या बैंक से निकासी के क्रम में अपने निजी वाहन से नकद लेकर आवागमन आवश्यक होता है। अत: इस संबंध में आपके स्तर से स्पष्टीकरण चाहेंगे कि कौन सी कागजात साथ रखना आवश्यक है जिससे कि व्यवसायी परेशानी से बच सकें।

ट्रकों का परिचालन : दिनांक 14.05.2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि महात्मा गाँधी सेतु पर बालू एवं गिट्टी परिवहन करनेवाले ट्रकों का परिचलन पूर्णत: निषेध होगा। इन ट्रकों का परिचालन वीर कुँवर सिंह सेतु या राजेन्द्र सेतु से होगा। बैठक के निर्णयानुसार निषेध का उद्देश्य केवल बालू एवं गिट्टी वाले जो ट्रक हैं उन्हीं पर था न कि आम वस्तुओं के ले जाने वाले पूर्व से चल रहे मध्यम वाहन (6 चक्का वाले वाहन) के लिए था।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में भी यह उल्लेख किया गया है कि ट्रैक्टर एवं मध्यम वाहन सुबह 8 बजे से 11 बजे एवं संध्या 5 बजे से 8 बजे तक महात्मा गाँधी सेतु पर दोनों तरफ से आवागमन हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस तरह के वाहन एन०एच० के सड़क को छोड़कर कतार में सड़क के बाँयें नीचे रोकने के समय खड़े होंगे। अत: सुबह 8 बजे से 11 बजे एवं संध्या 5 बजे से 8 बजे तक निषेध किया गया है। बाकी समय में इसका परिचलान होना चाहिए। इस संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराने की कृपा करेंगे।

मुख्य सचिव की बैठक में यह भी निर्णय हुआ था कि महात्मा गाँधी सेतु के बगल में स्थित पीपा पुल छोटे वाहनों के आवागमन के लिए 24 घंटे चालू रहेगा। अत: पुल के दोनों तरफ से आने एवं जाने के लिए इसे 24 घंटे चालू रखा जाए।

व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग में वृद्धि : व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाना चाहिए तथा व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष विंग की स्थापना की जानी चाहिए। यह देखा गया है कि व्यापारिक स्थानों में व्यापारिक अवधि में ही अपराध घटित होते हैं, इसलिए हमारा सुझाव है कि व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस विभाग में व्यवसायियों के लिए एक विशेष विंग की स्थापना की जानी चाहिए जिससे उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

आज के परिवेश में अपराध पर अंकुश लगाने में CCTV की भी काफी

अपर पुलिस महानिदेशक श्री जितेन्द्र कुमार को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत् करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। ।

पुलिस महानिरीक्षक डॉ० कमल किशोर सिंह को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत् करते चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल ।

पुलिस महानिरीक्षक श्री पारस नाथ को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत् करते चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ।

बैठक को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर पुलिस महानिदेशक, श्री के० एस० द्विवेदी। दाँयीं ओर क्रमशः पुलिस महानिरीक्षक श्री पारस नाथ, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मनु महाराज, सीटी एस० पी० श्री डी० अमरकेश, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान।

अहम भूमिका है। इसे अधिक से अधिक सघन व्यापारिक स्थलों यथा सब्जीबाग, हथुआ मार्केट, पटना मार्केट, एक्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, न्यू मार्केट आदि प्रमुख व्यवसायिक स्थलों पर CCTV लगाया जाना आवश्यक है।

पुलिस प्रशासन को अपराध के उद्भेदन में CCTV का उपयोग से काफी सफलता मिली है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कहा है कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों में CCTV अवश्य लगावें और जिन व्यवसायियों का प्रतिष्ठान रोड के किनारे हैं वे रोड साइड में भी एक-दो कैमरा अवश्य लगाएं।

नियमित बैठक की व्यवस्था : पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों में अवस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ नियमित आधार पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिये ।

हम पुलिस महानिदेशक महोदय के आभारी हैं कि जब भी पटना से बाहर जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनकी इच्छा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक करने की रहती है। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि इन्होंने अपने भ्रमण के क्रम में मोतिहारी एवं गया के व्यवसायियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जानने एवं उसके निदान का प्रयास किया है।

ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के सुझाव : ट्रैफिक की समस्या केवल पुलिस प्रशासन से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसमें कई विभागों की भागीदारी होती है इसलिए हमारा सुझाव है कि सरकार के स्तर पर ऐसा प्रस्ताव रखा जाए कि सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों की एक कमिटी बनाकर संयुक्त रूप से पहल किया जाए तथा एक ठोस कार्य योजना बनायी जाए। संपूर्ण राज्य में बढ़ती जनसंख्या, वाहनों का दबाव एवं संकरी सड़कों के कारण ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। इस सन्दर्भ में हमारा निवेदन होगा कि ट्रैफिक पुलिस के पास आधुनिक उपकरण प्रचूर मात्रा में उपलब्ध कराया जाए और ट्रैफिक पुलिस की संख्या में भी अपेक्षित वृद्धि की जाये।

- पटना के अधिकांश सड़कों को One way करके ही ट्रैफिक व्यवस्था में आमूल-चूल सुधार हो सकता है।
- रोड के साईड में अनाधिकृत वेंडरों के कारण भी यातायात में कठिनाई होती है अत: यातायात को सहज बनाने हेतु अनाधिकृत वेंडरों को हटाया जाना चाहिए।
- बिहार में मुम्बई के तर्ज पर ट्राफिक ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट का प्रस्ताव एक स्वागतयोग्य निर्णय है।

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु :

- ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद Loudspeaker एवं बैण्ड-बाजा बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अत: इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि जितने भी Community Hall, Hotel एवं विवाह स्थल हैं उनमें स्थानीय थाना के Mobile Number एवं Telephone Number के साथ इस आशय का बोर्ड लगाया जाना चाहिए जिससे कि रात 10 बजे के बाद इसे रोका जा सके।

- MVI Act के अनुसार गाड़ियों में अधिकतम 80 डिसिबल की ध्वनि वाले हार्न का उपयोग करना निर्धारित किया गया है लेकिन कुछ लोगों द्वारा अधिक ध्वनि वाला हार्न का उपयोग किया जा रहा है। अत: इसे नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है।

अन्य सुझाव :

- राज्य के अधिकतर थाने के भवन काफी जर्जर अवस्था में हैं उसके

कार्यक्रम को सम्बोधित करते डीजीपी श्री के० एस० द्विवेदी। उनकी दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। बाँयीं ओर क्रमशः एडीजी श्री एस० के० सिंघल, एडीजी श्री विनय कुमार, एडीजी श्री जे० एस० गंगवार, आईजी डॉ० कमल किशोर सिंह, एडीजी श्री जितेन्द्र कुमार, डीआईजी श्री शिव कुमार झा एवं एस० पी० ट्राफिक श्री पी० एन० मिश्रा।

वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मनु महाराज को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत् करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ।

पुलिस महानिदेशक को चैम्बर का मेमेन्टों भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

पुलिस महानिदेशक को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

नवीकरण की आवश्यकता है। इससे वहाँ काम करने वाले पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल भी उँचा होगा।

• राज्य के थानों में पेट्रोलिंग के लिए उपयोग में आने वाली गाड़ियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिससे उनको उपयोगी बनाकर रखा जा सके।

अपने सम्बोधन में पुलिस महानिदेशक श्री के० एस० द्विवेदी ने कहा कि कुल जनसंख्या के एक प्रतिशत से भी कम की संख्या वाले अपराधी हम पर हावी होते हैं, क्योंकि वो संगठित होते हैं। जिस दिन संगठन की शक्ति को आम जनता और विभिन्न व्यावसायिक संगठन समझने लगेंगे, अपराध का ग्राफ खुद-ब-खुद गिरने लगेगा।

पुलिस महानिदेशक ने अर्थव्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग एवं तत्पर है। हम लगातार इसके आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

उन्होंने व्यवसायियों से आग्रह किया कि विभिन्न आपराधिक मामलों में पुलिस को सहयोग हेतु दुकानों के अन्दर के अतिरिक्त रोड किनारे भी CCTV कैमरे लगायें।

श्री द्विवेदी ने कहा कि राज्य में कैश लूट की काफी घटनाएँ हो रही है, यह चिंता का विषय है। इसके लिए समुचित आदेश दिया गया है। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि ज्यादा मात्रा में नगद राशि बैंकों से निकालनी हो या जमा करनी हो तो वे सीधे स्थानीय थाना को सूचित करें, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

श्री द्विवेदी ने आग्रह किया कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर अपनी खीझ न उतारें, पुलिस को सहयोग दें। कैश लेकर चलने में आवश्यक कागजात साथ में रखें साथ ही भरोसा दिलाया कि पुलिस की ओर से परेशानी नहीं होगी।

ट्रैफिक जाम की समस्या पर डीजीपी ने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है, पुलिस इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर रही है पर लोगों को भी नियमों का पालन करना होगा, जहाँ-तहाँ गाड़ी पार्क न करें।

डीजीपी ने बताया कि जल्द ही पटना में महिला पुलिस स्कूटी से पेट्रोलिंग करती नजर आयेगी। पटना पुलिस के लिए स्कूटी की खरीद हो रही है जिसका इस्तेमाल महिला पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के लिए किया जायेगा।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिसिंग की पूर्व की व्यवस्था के तहत दोबारा पुलिस थानों सहित बड़े पुलिस अधिकारियों के आवास व कार्यालय पर शिकायत पेटियाँ लगायी जायेगी। लोग बिना हिचकिचाहट एवं बेखौफ अपनी शिकायत लिखकर पेटियों में डालें। सम्बन्धित अधिकारी उन शिकायतों पर कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। थानों में शिकायत दर्ज नहीं किये जाने पर सीधे पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन दें। प्रत्येक शनिवार को सम्बन्धित थानों एवं सी०ओ० के माध्यम से जमीन सम्बन्धित मामलों पर सुनवाई होगी। उन्होंने चैम्बर से अनुरोध किया कि आम लोग ठगी का शिकार न हो इसके लिए पम्पलेट छपवाकर लोगों में वितरित करायें।

इस अवसर पर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों में अपर पुलिस महानिदेशक श्री एस० के० सिंघल, श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार, श्री विनय कुमार, श्री जितेन्द्र कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, श्री पारस नाथ, डॉ० कमल किशोर सिंह, उप महानिरीक्षक श्री शिव कुमार झा, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मनु महाराज, नगर पुलिस अधीक्षक श्री डी० अमरकेश एवं श्री रविन्द्र कुमार तथा एस०पी० ट्राफिक श्री पारस नाथ मिश्रा भी उपस्थित थे।

बैठक में डीजीपी महोदय को चैम्बर अध्यक्ष ने मेमेन्टों एवं कॉफी टेबुल बुक देकर सम्मानित भी किया ।

बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं श्री मोती लाल खेतान, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, वरीय सदस्य श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, श्री उत्पल सेन, श्री प्रदीप चौरसिया, श्री सावल राम डोलिया, श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री अनिल पचीसिया, श्री स्वदेश कुमार सहित चैम्बर के सदस्य एवं मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

STATE MULLS POLICY FOR BAMBOO

Deputy CM Sushil Kumar Modi on 9th June 2018 underlined the need to create a task force to formulate a separate bamboo policy for the state.

Addressing a 'bamboo conclave' in Patna, Modi said the central government's National Bamboo Mission under the agriculture ministry would function under the state environment and forests department.

Farmers, craftsmen and businessmen will be sent to Assam, Mizoram and Tripura for training. A training centre will also be set up at the upcoming Araria Tissue Research Lab for skill development through training in bamboo farming.

"The Bhagaipur based Bamboo Tissue Research Centre is currently producing 1.5 lakh bamboo seedlings. Its capacity will be increased to 3 to 5 lakhs seedlings. Work will soon begin to set up a tissue research lab at Supaul. The upcoming lab in Araria will have the capacity to produce 8-10 lakh seedlings," Modi said.

Modi said bamboo is the poor man's timber. "It helps in preventing soil erosion, especially in flood-affected areas. Bamboo produces 30% more oxygen. Farming of bamboo will be promoted in Bhagalpur, Purnia and other regions located near the kosi," Modi said.

Principal chief conservator of forests D K Shukla said bamboo tissue propagation was a method that uses part of a parent plant to produce a new plant. "This takes less time to grow and, also, one gets a better product," Shukla said.

The event was also attended by Union minister Giriraj Singh and Bihar agriculture minister Prem Kumar.

(Source : Times of India, 10.6.2018)

क्या करें हाय
यह सिक्का
मिल गया

बैंकों ने
सिक्के लेने से किया इन्कार,
कारोबारियों की बढ़ी परेशानी

लोन तक
नहीं चुका पा रहे व्यवसायी,
ग्राहकों से हो रहा रोज विवाद

आरबीआई का आदेश,
सिक्का लेने से इनकार
नहीं कर सकते बैंक

सिक्के की ऐसी दुर्गति देखी नहीं कभी

निर्धारित राशि से अधिक के सिक्के नहीं ले रहे बैंक, परेशान हैं कारोबारी

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज

व्यवसायियों के पास सिक्कों का अधिक संग्रह होने से व्यवसायी काफी परेशान हैं। व्यवसायी कभी भी ग्राहकों से सिक्का लेने में कोई आनाकानी नहीं करते हैं। बशर्ते कि बैंक भी उनसे सहजता से सिक्का को स्वीकार करें, क्योंकि व्यवसायियों के पास बड़े पैमाने पर सिक्कों का संग्रह हो जाता है, जिसके कारण व्यवसायियों की एक बड़ी राशि ब्लॉक हो जाती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके व्यवसाय पर पड़ता है।

व्यवसायी जब अपना सिक्का लेकर बैंक में जमा कराने जाते हैं। उन्हें बैंकों द्वारा यह बताया जाता है कि निर्धारित राशि से ज्यादा का सिक्का नहीं लेंगे या अभी मेरे पास आदमी का अभाव है, बाद में आइयेगा, जैसे बहाने बनाकर व्यवसायियों को परेशान किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में व्यवसायी अपना व्यवसाय करे या प्रतिदिन बैंक दौड़ते रहे, ये बातें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, ने प्रभात खबर को विशेष बातचीत में कहीं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस दिशा में काफी गंभीर है। 20 फरवरी को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में संपन्न राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 63 वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक में सिक्कों की समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया था कि सभी बैंक शाखाएँ तो सिक्का जमा ले ही साथ ही हर जिले में सिक्के जमा लेने के लिए विशेष शाखा चिह्नित किया जाये। लेकिन इस निर्देश का बैंकों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कुछ बैंकों द्वारा सिक्का लेने के लिए जिस शाखा को चिह्नित किया गया है, वहाँ ऐसा देखने में आ रहा है कि वे केवल अपने शाखा के खाताधारकों से ही सिक्का ले रहे हैं।

सीमा उनके लिए है
जो खाताधारक नहीं

"अग्रवाल ने बताया कि अभी भी कुछ बैंकों द्वारा यह कहा जा रहा है कि 1000 से अधिक का सिक्का नहीं लेंगे जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि यह सीमा उनके लिए है जो उस बैंक के खाताधारक नहीं हैं। यदि कोई खाताधारक अपने पास के सिक्कों को अपने ऋण खाता या बचत खाता में जामा करते हैं तो उनके लिए सिक्कों की अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली कि बैंक एक हजार रुपये के सिक्के स्वीकार करने के एवज में ग्राहको से 59 रुपये की वसूली कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप ग्राहको में बैंकों के प्रति आक्रोश है। 59 रुपये की अतिरिक्त वसूली के संबंध बैंक के पदाधिकारियों का कहना है कि जो व्यक्ति उस बैंक के खाताधारक नहीं हैं उनसे नियमत: एक हजार का सिक्का स्वीकार करने के एवज में 29.50 रुपये का भुगतान करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि 29 रुपये के बदले में 59 रुपया ग्राहकों से वसूलना गलत है।

चैम्बर अध्यक्ष ने इस संबंध में सुझाव देते हुए कहा है कि अगर बैंकों की मंशा ठीक है तो जिस प्रकार से बाजार में सिक्कों का घोर अभाव के समय में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं अन्य संगठनों के प्रांगण में शिविर लगाकर व्यवसायियों को सिक्कों का वितरण किया गया था, जिससे कि बाजार में संतुलन बना रहे उसी प्रकार से बिहार चैम्बर के साथ-साथ अन्य व्यावसायिक संगठनों के प्रांगण में शिविर लगाकर व्यवसायियों से सिक्का लिया जाना चाहिए। साथ ही सिक्कों को लेकर व्यवसायियों एवं बैंको के बीच बनी गतिरोध को समाप्त कराने के लिए इसकी मॉनीटरिंग के लिए एक पदाधिकारी को अधिकृत किया जाये।

इस गंभीर समस्या का
शीघ्र निकालें हल

उन्होंने बताया कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सिक्कों को लेकर व्यवसायी एवं बैंकों के बीच बनी गतिरोध के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या के साथ-साथ व्यवसायियों को हो रही असुविधा एवं आर्थिक नुकसान को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर डॉ. उर्जित पटेल, क्षेत्रीय निदेशक (बिहार-झारखण्ड) भारतीय रिजर्व बैंक एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस गंभीर समस्या का शीघ्र हल निकालने का अनुरोध किया।

कहाँ करें शिकायत : अगर कोई बैंक छोटे सिक्के स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति या कारोबारी रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक या बैंकिंग लोकपाल को पत्र लिखकर शिकायत कर सकते हैं।

कैसे करें शिकायत : इसके लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गयी है। आप चाहे तो यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके अलावा आप अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से सीधे इ-मेल करके भी कर सकते हैं। इ-मेल bopatna@rbi.org.in पर भेज सकते है। इसके अलावा cepcpatna@rbi.org.in पर भी सिक्के से संबंधित ऑनलाइल शिकायत कर सकते है।

क्या है नया नियम : सभी बैंक और उनकी शाखाएँ अपने खाताधारक को रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक सेवाएँ देने को बाध्य है। इनमे सभी प्रचलित मूल्य वर्ग के नये और साफ नोट एवं सिक्के जारी करने कटे-फटे और गंदे नोट बदलने और किसी भी लेन-देन और बदलाव में सिक्कों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। प्रतिदिन प्रति खाता धारक 1000 रुपये कीमत तक के एक रुपये और अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के जमा कर सकता है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 03.06.2018)

ताईपाई वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के निदेशक की चैम्बर पदाधिकारियों से भेंटवार्त्ता

दिनांक 06 जून 2018 को ताईपाई वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के निदेशक श्री जॉर्ज लीन ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ चैम्बर प्रांगण में भेंटवार्त्ता की और कई आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की। भेंटवार्त्ता के पश्चात् श्री जॉर्ज लीन को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर चैम्बर अधयक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी उपस्थित थे।

श्री जार्ज जीन को कॉफी टेबुल बुक देकर सम्मानित करते चैम्बर के पदाधिकारीगण।

मुद्रा योजना से लोग बने सबल

मोदी सरकार के चार साल पूरे होने की योजनाओं में 'मुद्रा योजना' भी एक बड़ी योजना है। बिहार जैसे गरीब राज्य में यह योजना बहुत ही सफल है। वित्त वर्ष 2017-18 के अंतर्गत मार्च, 2018 के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना से अब तक बिहार में आठ लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इसका रेस्पांश बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत कम समय में लोगों को व्यवसाय करने के लिए मिलने वाला यह लोन आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने में एक बड़ा जरिया बन रहा है। इस योजना में न सिर्फ बड़े बैंक बल्कि स्थानीय स्तर के बैंकों ने भी बड़ी सहभागिता दिखायी है। योजना के तहत शिशु, किशोर और तरूण तीनों ही कैटेगरी में खाते खोले गए हैं।

अलग तरीके से हुआ प्रचार : मुद्रा स्कीम का प्रचार जिस प्रकार से लोगों के बीच किया गया है उससे ऐसा लगता है कि यह स्कीम पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा पोषित है। जबकि सच यह है कि बैंक द्वारा ही सभी लोन दिए जा रहे हैं। बैंक के इस काम को लेकर किसी प्रकार का वित्तीय सपोर्ट या इनसेंटिव स्कीम में नहीं दिया गया है।

योजना में कैटेगरी : बैंक और अन्य निजी वित्तीय संस्थानों के द्वारा लोन की राशि दी जाती थी लेकिन यह पहली ऐसी योजना रही जिसमें बच्चों से लेकर व्यस्क तक को लोन देने की योजना बनायी गई है। इसे शिशु, किशोर और तरूण-तीन कैटेगरी में बांटा गया है।

डेबिट कार्ड जैसा इस्तेमाल : मुद्रा कार्ड बेहद आसान है, यह डेबिट कार्ड जैसा ही है। मुद्रा लोन लेने वाला व्यक्ति कुल 10 प्रतिशत तक खर्च कर सकता है। इसका इस्तेमाल किसी भी एटीएम में किया जा सकता है।

"मुद्रा लोन अन्य योजनाओं से अलग है। लोन की आसान शर्तों के कारण यहाँ लोन लक्ष्य से बेहतर है। उम्मीद है यह सिलसिला आगे भी रहेगा।"

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

लक्ष्य से 50 प्रतिशत अधिक

विभिन्न बैंकों से मिले डाटा से यह पता चलता है कि लोन की बेहद आसान तरीके से मिलने की वजह से यह तय लक्ष्य से बहुत आगे है। उदाहरण के लिए राज्य की बैंको ने तरुण मुद्रा लोन में 5375 करोड रुपये के टारगेट की तुलना में 8092 करोड़ रुपये का लोन बांटा है। यह लक्ष्य से 50 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, किशोर मुद्रा लोन में 1908 करोड़ लक्ष्य की तुलना में 4413 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल किया है। (साभार : आई नेक्स्ट, 26.5.2018)

मुद्रा योजना बिहार में मांग से बेहतर, भविष्य की ओर नजरें टिकी किस बैंक ने कितना खाता खोला

बैंक	शिशु मुद्रा लोन	किशोर मुद्रा लोन	तरूण मुद्रा लोन
एसबीआई	1766	4697	1974
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3022	2799	660
पीएनबी	5428	9107	2397
कैनरा बैंक	2793	6247	1229
यूको बैंक	7761	3451	130
बैंक ऑफ बडौदा	1111	4153	572
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	887	3597	428
बैंक ऑफ इंडिया	1728	3919	1153
आंध्रा बैंक	174	407	188
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	57	50	27
कारपोरेशन बैंक	40	124	62
इंडियन ओवरसीज बैंक	208	291	78
ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	208	348	122
पंजाब एंड सिंध बैंक	35	53	15
सिंडिकेट बैंक	961	1120	256
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	367	1171	393
विजया बैंक	119	98	46
आईडीबीआई	24781	2159	2303
फेडरल बैंक	12	27	20
एक्सिस बैंक	129478	195	319
एचडीएफसी	57173	3159	1437
इंडसलैड बैंक	34565	5237	283
बंधन बैंक	492134	79377	00
मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	12883	31823	386
बिहार ग्रामीण बैंक	2487	3289	70
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	25312	12903	18

कुल

शिशु मुद्रा लोन : 801490 **किशोर मुद्रा लोन : 179831**

तरुण मुद्रा लोन : 14851 (साभार: आई नेक्स्ट, 26.5.2018)

POLLUTION BOARD WARNS 2K PVT HEALTH FACILITIES OVER BIOMEDICAL WASTES

HEALTH HAZARD Pharmaceutical wastes detected in shallow aquifer of Patna

The Bihar state Pollution Control Board (BSPCB) has served notice on 2,033 private hospitals, nursing homes and clinics of Bihar, asking them to ensure disposal of biomedical wastes through common biomedical wastes treatment facility (CBWTF) or face action. including closure of their units.

Patna has the largest number of private health facilities followed by Darbhanga, Muzaffarpur, Bhagalpur, Gaya & Ara.

The BSPCB is also busy identifying more private hospitals and nursing homes, both in urban and rural areas, for sending notices to them in the coming weeks. An official familiar with the matter said 5,000 more such facilities were already on BSPCB radar.

BSPCB chairman Ashok K Ghosh said, "Biomedical wastes are tomorrow's greatest health hazards in urban areas. The board is committed to take preventive measures by enforcing relevant rules and laws." **(Details : Hindustan Times, 22.5.2018)**

FINANCIAL FEDERALISM

Arvind Subramanian, Chief Economic Advisor to the Narendra Modi government, isn't terribly pleased about the tepid effort that states are making to crank up tax revenues from their urban and rural local bodies.

Arvind Subramanian said while delivering a lecture titled "An Analytical Frame-work for Fiscal federalism in India" organised by the Centre for Economic and Public Finance, Asian Development Research Institute (ADRI).

Urban local bodies usually collect tax in the form of property tax, vacant land tax, tax on shops and establishments, profession tax, and tax on outdoor advertising which they usually retain to meet their own expenditure.

They also collect entertainmant tax and stamp duty surcharge which are in the nature of assigned revenues - which means they are transferred to the state exchequer.

A principal source of revenue for urban municipalities used to be levied in the form of octroi and entry tax on vehicles entering municipal jurisdictions which have since been subsumed under the goods and service tax.

Subramanian suggested that the main reason for the poor fiscal effort by local bodies was the reluctance of governments to raise taxes that could ignite popular resentment, " There is another option: increase services so that people are willing to pay taxes," he added.

On fiscal federalism, Subramanian highlighted the three Rs - redistribution, risk sharing and reward - that determine its functioning. He also said that the finance cominission should set aside some money for shocks likes floods or droughts.

In his introductory speech, Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi said regional disparity in the states was gradually increasing.

He cited that there had been an increase in states' share from 28.5 per cent in the 11th Finance Commission to 42 per cent in the 14th finance Commission, but Bihar's share in the divisible pool was gradually decreasing from 14.6 per cent to 9.66 per cent in the same time frame.

Modi said that Bihar suffers from vagaries of flood every two years but has got only Rs 2,591 crore in assistance compared to Maharashtra (Rs 8,095 crore) and Madhya Pradesh (Rs 4,848 crore). **(Detail : The Telegraph, 7.6.2018)**

हमारा पैसा दक्षिण-पश्चिम राज्यों को क्यों भेज रहे बैंक

राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंकों से पूछे सवाल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार से कमाया हुआ पैसा दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में निवेश करने की बैंकों की प्रवृत्ति पर सख्त हिदायत दी है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से पूछा कि हमारा पैसा वह दूसरे राज्यों को क्यों भेज रहे? बिहार में ऋण देने में तेजी लाएँ। बिहार के लोग पैसा पचाना नहीं पसंद करते। ऋण-जमा अनुपात कम से कम पचास प्रतिशत तक तो लाएँ। नए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की पहली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि गाँवों में शाखा खोलने पर राज्य सरकार बैंकों को मुक्त जगह उपलब्ध कराएगी।

5000 करोड़ वाले भागे और यहाँ एक लाख शिक्षा ऋण नहीं : मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राज्यों का ऋण-जमा अनुपात 100 प्रतिशत से भी अधिक है। बिहार का अभी 50 प्रतिशत भी नहीं पहुँचा है। बैंकों से मोटी ऋण राशि लेकर बड़े-बड़े लोग भारत से बाहर भाग गए और बिहार में गरीब छात्रों के शिक्षा ऋण में बैंकों ने दिलचस्पी नहीं ली। शिक्षा ऋण में सरकार ने अपनी ओर से 160 प्रतिशत की गारंटी दी थी। पाँच हजार करोड़ का ऋण लेने वाले भाग गए और बिहार में विद्यार्थी को एक लाख रुपए का शिक्षा ऋण नहीं मिला। बैंक छोटे लोगों पर ही सख्ती करते हैं।

गाँवों में नई शाखा खोलिए, हम मुफ्त में जगह देंगे : मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएँ खोलें। पंचायत भवन में बैंक की शाखा के लिए सरकार मुफ्त में जगह देने को तैयार है। देश में 11 हजार की आबादी पर एक बैंक है, पर बिहार में यह रेशियो 16 हजार का है। देहात में कोई बैंक अपनी शाखा खोलना चाहता है, तो सरकार उसे मदद करेगी।

राज्य में साख जमा अनुपात (करोड़ में)

वर्ष	जमा	साख जमा	अनुपात
2010-11	113909	38723	33.99%
2011-12	138163	50704	36.70%
2012-13	161035	62293	38.68%
2013-14	183458	78678	42.89%
2014-15	210190	93716	44.59%
2015-16	240288	108115	44.99%
2016-17	280370	123191	43.94%
2017-18	312828	142996	45.38%

बैंक की सुरक्षा को ले सरकार गंभीर : अरवल में बैंक अधिकारी की हत्या की चर्चा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई चल रही है। जल्द ही दोषी पुलिस की गिरफ्त में होगा। उन्होंने कहा कि बैंक की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार अपनी इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स बना रही है।

(साभार : दैनिक जागरण, 27.5.2018)

सहूलियत : 2000 और 200 के फटे नोट बदले जा सकेंगे

आने वाले दिनों में कोई भी बैंक आपके 2000 और 200 रुपये के गंदे और कटे फटे नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकता। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में मैजूदा नोट बदलने वाले कानून में जरूरी संशोधन कर लिया है। बस इसे अमलीजामा पहनाना बाकी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा कानून के तहत सिर्फ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये के नोट बदलने का ही प्रावधान था। कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही था जिसके आधार पर बैंक 2000 और 200 रुपये के गंदे, पुराने या फटे नोट बदल सकें।

नोट बदलने का कानून भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है। इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया था।

सूत्रों ने 'हिन्दुस्तान' को बताया है कि इस बारे में मसौदा तैयार कर लिया गया है। मौजूदा कानून में संशोधन कर 2000 और 200 रुपये के नोट बदलने के प्रावधान को जोड़ दिया है। ये शुरूआती मसौदा वित्त मंत्रायल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। सरकार कानून बनाकर नोटिफिकेशन जारी कर देगी जिसके बाद इन नोट को बदलने में आने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी। 2000 रुपये के नोट नवम्बर 2016 को नोटबंदी के बाद जारी किए गए थे। 200 रुपये का नोट सितम्बर 2017 के बाद जारी हुआ है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 25.5.2018)**

रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद सेंट्रल बैंक ने वापस किये रुपये

भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाईवे सर्विसेज (बाईपास) के खाते में 11800 रुपये वापस कर दिया है।

ज्ञात हो कि प्रभात खबर ने 22 मई को अब भी सिक्के नहीं स्वीकार कर रहे बैंक नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी, इसमें नंद लाल छपरा स्थित हाईवे सर्विसेज द्वारा राजेन्द्र नगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 5 हजार रुपये के सिक्के (जो 10-10 के) 18 अप्रैल को जमा किये थे। उसके बदले बैंक ने हाईवे सर्विसेज के खाते से 10 हजार रुपये कैश हैंडलिंग और जीएसटी के नाम पर कुल 11800 रुपये काट लिये थे। **(साभार : प्रभात खबर, 29.5.2018)**

चार वर्षों में 800 मेगावाट हरित ऊर्जा जुटाएगा बिहार

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के चलते अब बिहार में भी थर्मल पावर की जगह हरित ऊर्जा को तरजीह देने की तैयारी है। अगले चार वर्षों में बिहार में बिजली की कुछ खपत का 17 फीसद हिस्सा हरित उर्जा से जुटाना है। इसके लिए बिजली कंपनी ने प्रयास तेज कर दिया है। वर्ष 2021-22 तक प्रदेश में 800 मेगावाट पवन एवं सौर ऊर्जा की सप्लाई करने की व्यवस्था की जा रही है।

वर्ष	लक्ष्य
2018-19	09.25
2019-20	11.50
2020-21	14.25
2021-22	17.00

नोट : आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त बिजली थर्मल पावर से काफी सस्ती होती है

मिलेगी भरपूर बिजली : • अगले चार वर्षों में कुल खपत का 17 फीसद होगी हरित बिजली • प्रदेश में भी थर्मल पावर की जगह हरित ऊर्जा को मिलेगी तरजीह • दो सौ मेगावाट पवन ऊर्जा खरीदने पर आगे बढ़ा काम (विस्तृत : दैनिक जागरण, 29.5.2018)

बिना कैमरा नहीं होगी वाहन जाँच

पुलिस की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त
वाहन जांच की रिकॉर्डिंग कराने का आदेश

अब पुलिस बिना वीडियो रिकार्डिंग की व्यवस्था के वाहनों की चेकिंग नहीं कर सकेगी। जाँच के नाम पर पुलिस की मनमानी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब वाहन जाँच कैमरे या सीसीटीवी की निगरानी में ही की जा सकेगी। ऐसी व्यवस्था न होने की स्थिति में पुलिसकर्मियों को जाँच प्रक्रिया को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करनी होगा। (साभार : दैनिक जागरण, 25.5.2018)

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ महंगा

सरकार ने गाड़ियों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की कीमत बढ़ा दी है। ऐसे में सभी तरह का गड़ियों में एचएसआरपी प्लेट लगाना महँगा हो गया है। परिवहन विभाग की बढ़ी हुई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। एचएसआरपी की कीमत में आठ से लेकर 20 रुपये तक की वृद्धि की गई है। महत्वपूर्ण यह है कि अब नई गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फैक्ट्री से ही लग कर आएगी। इसके लिए आपको जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिन डीलरों के पास बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का पुराना स्टॉक होगा, उन्हें विक्रेताओं द्वारा सिक्योरिटी प्लेटें लगा कर दी जाएँगी।

वाहन	पहले	अब
दो पहिया	131	139
तीन पहिया	162	172
चार पहिया	335	355
टैक्ट्रर ट्रेलर	140	148
भारी वाहन	310	328

(साभार : दैनिक जागरण, 25.5.2018)

स्थानीय स्टार्टअप को जमीन भी देगा बिहार

पटना के पास बिहटा के औद्योगिक पार्क से होगी शुरूआत

विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में स्टार्टअप इकाइयों को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार उन्हें जमीन भी उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने अपने सभी औद्योगिक पार्कों में 10 प्रतिशत जमीन स्टार्टअप के लिए सुरक्षित रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, उन्हें राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति के अन्य लाभ भी मिलते रहेंगे।

राज्य सरकार पिछले एक साल से राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने में जुट गई है। इसके तहत राज्य सरकार ने इनकी आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के मामले में भी उद्योग विभाग ने कई रियायतें देने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में विभाग अब निर्माण के क्षेत्र में उद्यम को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि, इस बाबत जमीन की किल्लत एक बड़ी रुकावट पैदा कर रही थी। यह दिक्कत दूर करते के लिए राज्य सरकार ने अपने औद्योगिक पार्कों में जमीन का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखने का फैसला लिया है। यह जमीन विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप काम शुरू करने के लिए दी जाएगी। इसकी शुरुआत विभाग पटना के पास बिहटा के अपने औद्योगिक पार्क से करेगा। यहाँ विभाग स्टार्टअप के लिए शुरूआत में 10 एकड़ सुरक्षित रख सकता है। सूत्रों के मुताबिक विभाग इस बाबत जल्दी ही बियाडा को निर्देश दे सकता है। इन स्टार्टअप को राज्य सरकार की नीति का पूरा फायदा भी मिलेगा। इसके तहत इन्हें 10 साल के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज, लाइसेंस व अन्य कागजी प्रक्रियाओं में रियायत और ब्याज अनुदान जैसे सुविधाएँ मिलेंगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैटेंट हासिल करने का पूरा खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार की प्रोत्साहन नीति की वजह से अब तक 53 स्टार्टअप की शुरूआत हो चुकी है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 23.5.2018)

छह प्रस्तावों को मंजूरी, 16 करोड़ होगा निवेश

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने खाद्य प्रसंस्करण एवं प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में छह निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से राज्य में 16.24 करोड़ का निवेश होगा। इसके जरिये बिहार में 179 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बियाडा के कार्यकारी निदेशक भोगेन्द्र लाल ने इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सभी छह निवेश प्रस्तावों को प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी (पीसीसी) की बैठक में मंजूरी प्रदान की गयी। इस कमेटी में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ, बियाडा के प्रबंध निदेशक आरएस श्रीवास्तव व अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हुए। श्री लाल ने बताया कि सभी छह निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि का आवंटन औद्योगिक क्षेत्र फतुहा, गिद्धा, नवादा, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर में किया गया है। इन इकाइयों को ऑनलाइन भू- आवंटन पत्र भी जारी किया जा चुका है। श्री लाल ने बताया कि बैठक में प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गयी और पाया गया कि कुछ कंसल्टेंट द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट तथ्यहीन हैं। (साभार : हिन्दुस्तान, 19.5.2018)

पटना सिटी के एलईडी बल्ब क्लस्टर को निखारेगा नाइलेट

आईआईटी तैयार करेगा डिजाइन : पटना सिटी के एलईडी बल्ब क्लस्टर को निखारने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की आईटी मंत्रालय की संस्थान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलेट) को दी जा सकती है। नाइलेट को एलईडी बल्ब क्लस्टर के लिए कंसल्टेंट बनाए जाने की संभावना है। यह संस्थान उद्यमियों को न केवल सलाह देगी, बल्कि टेक्नीकल स्टाफ को बल्ब निर्माण की ट्रेनिंग भी देगी। जबकि बल्ब के मदर बोर्ड की डिजाइन आईआईटी को तैयार करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। उद्योग विभाग मुख्यमंत्री क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के तहत सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगा।

पटना सिटी में बल्ब निर्माण की 70 यूनिट : पटना सिटी में पिछले 40-45 वर्षों से सामान्य बल्ब का निर्माण हो रहा है। एलईडी बल्ब के आने के बाद से उनके धंधे में मंदी के बादल छाने लगे। प्रतिदिन चार लाख बल्ब उत्पादन करने वाले पटना सिटी में उत्पादन कम होकर एक-डेढ़ लाख रह गया है। पटना सिटी के बल्ब उद्यमी और फेडरेशन ऑफ आल इंडिया लैप एंड कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग एसोएसिसन के प्रेसिडेंट आर० के० जायसवाल ने कहा कि पटना सिटी में बल्ब निर्माण की करीब 70 यूनिट है। लेकिन, एलईडी के बाद स्थिति कमजोर होती जा रही है। अगर एलईडी का निर्माण यहाँ शुरू हो जाए तो बिहार से दूसरे राज्यों को भी एलईडी बल्ब की आपूर्ति की जा सकती है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 23.5.2018)

बिहार से भी कोयला उत्पादन

• भागलपुर में मिला है कोयले का भंडार • केन्द्र सरकार ने इसे दो कोयला ब्लॉक में विभाजित करके इन्हें बीसीसीएल को सौंपा है

बिहार में जल्दी ही कोयले का उत्पादन होगा है। राज्य सरकार के मुताबिक अगले दो वर्षों में कोयले का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही, भारत सरकार राज्य में प्लैटिनम टंगस्टन, निकल और तांबे के उत्खनन के लिए भी सर्वेक्षण इस साल के अंत तक शुरू कराने वाली है।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 24.5.2018)

BENGAL TO WOO WEDDING PARTIES FROM DRY BIHAR

THE GOVT IS IN THE PROCESS OF SETTING UP MEGA WEDDING VENUES IN TOWNSHIPS CLOSE TO THE BIHAR BORDER

The West Bengal government is in the process of setting up mega wedding venues in townships close to the Bihar border so that families from the western state, which is a dry state, can shift functions and raise toasts.

"We came to know that many families in Bihar are shifting their wedding functions to places such as Benaras in UP and Koderma or Ranchi in Jharkhand," Bengal Tourism Minister Gautam Deb said, noting that some even moved their functions to Kolkata, at a high cost.

"If we can offer venues closer to east Bihar, families from that region can shift there at lower expenses and the state can also earn some revenues, "he said.

Six townships have been chosen for this purpose. These are Dalkhola, Karandighi and Raigunj in North Dinajpur district and Ranigunj, Asansol and Durgapur in West Burdwan district.

"These wedding venues will be managed and owned by the state tourism department. They would attract wedding parties from Bihar through private tourism agencies against a commission," an official said.

Apart from bar licences, the wedding venues will have big wedding halls, guest rooms, lawns and other infrastructure. "The cost will be worked out shortly depending on what kind of facilities most marriage parties would like to have," said a tourism department official. The USP of the move is alcohol, taxes of which contributed to 19% of Bengal's revenues in 2017-18.

Bengal profited from the Prohibition in Bihar since April 2016. In 2017-18, Bengal's excise revenue rose to Rs 8,700 crore in the revised estimate, a 50% jump over the budget estimate of Rs 5,710 crore.

In 2018-19, the Bengal finance minister has projected 82% rise in excise collection compared to last year.

Patna-based event manager Atul Kashyap said that it is quite natural that those who have money to spend on family occasions will prefer destination without prohibition.

"The case is not only for wedding ceremonies but also applicable for corporate events and birthday parties, among others," he said.

According to Manotosh Deb, Trinamool Congress MLA from Karandighi in North Dinajpur district that borders Bihar, such a project will provide employment to local people. "Not just wedding venues, allied services such as decorators, flower suppliers and caterers will get a boost," the MLA said.

Incidentally, liquor sales got a boost in North Dinajpur district since Bihar government imposed prohibition.

Initially, the influx of tipplers from Bihar was during festive seasons such as Holi, Durga Puja, and New Year.

(Source : H. T., 16.6.2018)

एनजीओ निबंधन के लिए अब देने होंगे ₹15 हजार

राज्य में गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) व सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन महँगा हो गया। पहले मात्र 50 रुपए सरकारी शुल्क लगते थे, लेकिन अब निबंधन शुल्क के रूप में 15 हजार का भुगतान करना होगा।

यह व्यवस्था उन संस्थ्याओं के लिए है, जिन्हें सिर्फ बिहार में काम करना है। राज्य से बाहर काम करने वाली संस्थाओं को निबंधन शुल्क के रूप में 25 हजार देने होंगे। इसी के साथ सोसायटी के सदस्य में एक महिला का होना भी जरूरी कर दिया गया है। राज्य में अभी तक वर्ष 1860 के अनुसार ही एनजीओ व सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का शुल्क लिया जा रहा था। उस समय तय 50 रुपए के अनुसार अब भी सूबे में एनजीओ व सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। 158 साल बाद अब सरकार ने इस शुल्क में बदलाव किया है। नई व्यवस्था लागू हो गई है। हालांकि विभाग ने पिछले साल भी रजिस्ट्रेशन शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था पर कुछ कारणों से वह फाइलों में ही रह गया।

यही नहीं, प्रस्ताव के अनुसार रजिस्ट्रेशन के अलावा अन्य मदों में भी राशि ली जाएगी। मसलन अगर कोई रजिस्ट्रेशन के बाद किसी बिंदु पर संशोधन कराना चाहेगा तो उन्हें फिर से 15 हजार देने होंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित कॉपी लेने के लिए 500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा भी निबंधन के लिए कई नई व्यवस्था लागू की गई है। मसलन अगर निबंधन कराना है तो आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन की जांच होगी और त्रुटि पाये जाने पर फिर उसे वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि यह व्यवस्था भी है कि आवेदक अपने आवेदन में त्रुटि दूर कर फिर उसे ऑनलाइन विभाग के पास भेज सकता है। उल्लेखनीय है कि अभी राज्य में 43 हजार से अधिक एनजीओ निर्बंधित हैं। (हिन्दुस्तान, 15.6.2018)

यह भी जानें बैंकिंग शुल्क से बचने को अपनाएं ये 10 तरीके

बैंक एक तय स्तर के बाद एटीएम से निकासी, चेक, बैंक ड्राफ्ट, एफडी, डिमांड ड्राफ्ट जैसी सुविधा के लिए शुल्क वसूलते हैं। लेकिन आप कुछ उपायों को अपनाकर बड़ी रकम बचा सकते हैं। हम आपको ऐसे ही 10 तरीके बता रहे हैं....

1. **ज्यादा निकासी करें :** एटीएम से पाँच बार मुफ्त पैसा निकाल सकते हैं। छठवीं बार से चार्ज देना होता है। नकदी की ज्यादा जरूरत है तो एकमुश्त निकासी करें। यानी एक बार में ज्यादा धन निकालें। बचत : 20 रुपये की बचत हर मुफ्त निकासी के बाद।

2. **शाखा से नकद नहीं निकाले :** बैंक हर महीने अपने शाखाओं से 3 से 4 बार नकदी निकासी के बाद पैसा निकालने पर चार्ज वसूल करते हैं। बचत : प्रति निकासी 50 से 150 रुपये।

3. **चेक को कहे ना, नेटबैंकिंग हाँ :** बैंक अतिरिक्त चेक बुक पर चार्ज वसूलते हैं। इसलिए नेटबैंकिग का अधिक इस्तेमाल बेहतर है। बचत : 150 रुपये प्रति चेक बुक।

4. **रखें न्यूनतम राशि :** अपने बचन खाते में न्यूनतम शेष राशि (मिनिमम बैलेंस) जरूर रखें। बैंक से पता कर लें कि खाते में न्यूनतम राशि रखने की सीमा क्या है? बचत : प्रतिमाह 10-600 रुपये की होगी बचत।

5. **ईमेल पर मंगाएं स्टेटमेंट :** बैंक खाते का विवरण कागज पर देने पर चार्ज वसूलते हैं। लिहाजा स्टेटमेंट ईमेल पर मंगवाएं। जानकारी एप से भी ले सकते हैं। बचत : 100 रुपये

6. **क्रेडिट कार्ड से नकदी नहीं :** क्रेडिट कार्ड से नकदी निकासी न करें। बैंक पहले दिन से ब्याज वसूलते हैं। निकासी चार्ज भी लेते हैं। बचत : रकम निकासी पर 300-500 रुपये शुल्क।

7. **क्रेडिट कार्ड बिल वक्त पर चुकाएँ :** क्रेडिट कार्ड बिल देरी से भरने पर बैंक 24 से 36% तक ब्याज लेते हैं। बचत : समय पर बिल देने से ब्याज और पेनल्टी से बच सकते हैं।

8. **बिल को ऑटोपेमेंट मोड में करें :** लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान ऑटो पेमेंट मोड में करें। बचत : देर से बिल भुगतान पर बैंक 24 से 36 फीसदी तक चार्ज लेते हैं।

9. **रकम नहीं तो चेक नहीं दें :** अगर आपके खाते में पर्याप्त रकम नहीं है तो किसी को भी चेक नहीं दे। चेक नहीं भजने पर बैंक पेनल्टी वसूलते हैं। साथ ही यह एक जुर्म भी है। बचत : 500 से 750 रुपये तक।

10. **क्रेडिट कार्ड सीमा पार न करें :** क्रेडिट कार्ड की सीमा से ज्यादा रकम खर्च करने पर बैंक चार्ज वसूलते हैं। इसलिए हमेशा सीमा के अंदर ही खर्च करें। बचत : सीमा से ज्यादा खर्च पर 2.5% ब्याज या 500 रुपये तक एकमुश्त शुल्क। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.6.2018)**

नगर निगम में कोई रिश्वत मांगे तो वाट्सएप पर कीजिए शिकायत

नगर निगम में रिश्वत मांगने वालों की अब खैर नहीं। नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। मौर्यालोक सहित सभी अंचलों में भ्रष्टाचारियों की सूचना देने के लिए जगह-जगह बोर्ड लगाए गए हैं। यदि कोई रिश्वत मांग रहा हो, तो pmc.reform@gamil.com पर ईमेल कर, 06122200691 पर फैक्स भेजकर या वाट्सएप नंबर 9431045915 पर जानकारी दे सकते हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि इससे निगम का माहौल बेहतर होगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 17.6.2018)**

31 CITIES LAG BEHIND IN CURBING AIR POLLUTION

102 MOST-POLLUTED CITIES Centre wants cities to reduce air pollution by 35% in three years, but only 71 have chalked out an action plan

Three months after the Centre asked India's most polluted cities to come up with a plan to reduce air pollution, almost a third of them do not have an action plan.

As part of the Centre's National Clean Air Programme (NCAP) that identified 100 mostpolluted cities across the country in March, the figure was later updated to 102cities.

Seventy-one cities have chalked out an air pollution action plan, said officials from the Central Pollution Control Board (CPCB), the country's apex pollution regulator.

Thirty one are expected to submit their drafts by June 30, they said.

NO ACTION PLAN YET : Maharashtra tops the list of states that still do not have air pollution action plan. Some of the most polluted cities which have not submitted their plans:

1. MAHARASHTRA : Akola, Badlapur, Chandrapur, Jalgaon, Nagpur, Nashik, Navi Mumbai, Sangli, Solapur, Ulhasnagar **2. UTTAR PRADESH :** Gajraula, Jhansi, Khurja, Noida, Rae Bareli **3. RAJASTHAN :** Alwar, Jaipur, Jodhpur, Kota, Udaipur **4. KARNATAKA :** Bengaluru, Devanagere, Gulburga, Hubli-Dharwad **5. CHHATTISGARH :** Korba, Raipur **6. UTTARAKHAND :** Kashipur, Rishikesh **7. GUJARAT :** Ahmedabad **8. JAMMU AND KASHMIR :** Srinagar **9. TELANGANA :** Nalgonda

Some of the major polluted cities that have developed their action plans are Mumbai, New Delhi, Kolkata, Lucknow, Kanpur, Faridabad, Gurugram, Gaya, Varanasi, Patna, Agra, Muzaffarpur, Guwahati, Vishakhapatnam, Bhilai, Bhopal, Indore, Amravati, Kolhapur, Ludhiana and Allahabad among others.

14 OF WORLD'S MOST POLLUTED CITIES ARE IN INDIA: WHO
City PM 2.5 levels (Annual mean in µg/m3)

• Kanpur - 173 • Faridabad - 172 • Varnasi - 151 • Gaya - 149 • Patna - 144 • Delhi - 143 • Lucknow - 138 • Agra - 131 • Muzaffarpur - 120 • Srinagar - 113 • Jaipur - 105 • Gurugram - 103 • Patiala - 101 • Jodhpur - 98 **(Safe limit : 40 µg/m3)**

POLLUTANTS AROUND YOU : In the air is suspended particulate matter (PM) of different sizes. Many of these are a mix of dust, pollen, soot and chemicals

PM 10 : These are solid and liquid particles that are less than 10 micrometres in diameter - 10 micrometres is about 5 time less than the width of a single human hair. PM 10 particles can stay in the air for minutes and even hours. Particles bigger than these are generally kept out by the body's natural filtration mechanism. The smaller particles are lighter and they stay in the air longer and travel farther.

PM 2.5 : The smaller kind, with a diameter not more than 2.5 micrometres. These are "fine particles" that can stay in the air for days or weeks and are small enough to invade even the narrowest of airways leading into the body.

(Source : System of Air Quality Weather Forecasting and Research)

Expert speak : The larger focus has to be on adequate stringency of action plan. It should be effective with a clear monitoring and oversight framework. The Next step is to implement the plan wherein each and every action point identified under different pollution sources should have a clear timeline.

— ANUMITA ROY CHOUDHURY
Executive Director, Centre for Science and Environment, Delhi.
(Details : Hindustan Time, 14.6.2018)

जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकती हैं बैंकों की फ्री सेवाएँ

• जीएसटी महानिदेशालय ने कई बैंकों को पिछले महीने 2012-17 के लिए टैक्स नोटिस भेजा था • लेकिन राजस्व विभाग फ्री बैंकिंग सेवाओं पर टैक्स लगाने के लिए मना कर सकता है

चेक बुक जारी करने और एटीएम से पैसे निकालने जैसी फ्री बैंकिंग सेवाएँ जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकती हैं। जीएसटी महानिदेशालय की तरफ से एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक समेत कई बड़े बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया था। लेकिन वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार राजस्व विभाग मुफ्त सेवाओं पर जीएसटी लगाने से इनकार कर सकता है।

बैंकों को 2012-17 की अवधि के लिए टैक्स देने को कहा गया था। इस पर वित्तीय सेवा विभाग ने राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया। बैंकिंग सेवाएँ वित्तीय सेवा विभाग और जीएसटी राजस्व विभाग के अधीन आते हैं। दोनों विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हैं।

बैंक मिनिमम बैलेंस रखने पर ग्राहकों को कुछ सुविधाएँ मुफ्त देते हैं। इसमें महीने में 3/5 बार एटीएम से पैसे निकालना, डेबिट कार्ड जारी करना, सीमित संख्या में चेक बुक देना भी शमिल हैं। बैंकों की समस्या थी कि वे ग्राहकों से बैक डेट से टैक्स नहीं वसूल सकते। हालांकि लागू होने पर आगे टैक्स का बोझ ग्राहकों पर ही आएगा।

बैंक का तर्क मुफ्त सेवाएँ कॉमर्शियल गतिविधि नहीं : वित्तीय सेवा विभाग का तर्क था कि मुफ्त सेवाओं को कॉमर्शियल गतिविधि नहीं कह सकते। इसलिए इस पर जीएसटी भी नहीं लगाया जा सकता। बैंकों की तरफ से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने भी टैक्स अधिकारियों के सामने यही दलील रखी थी।

टैक्स विभाग का तर्क बैंक कोई भी सेवा फ्री नहीं दे रहे : टैक्स अधिकारियों का तर्क है कि बैंक कोई भी सेवा मुफ्त में नहीं दे रहे। इसके बदले वे ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस रखने को कहते हैं। ऐसा नहीं करने पर कस्टमर से जुर्माना लिया जाता है। 'डीम्ड सर्विस' होने के कारण यह टैक्सेबल है।

ई-कॉमर्स डिस्काउंट पर टैक्स का आदेश भी हो चुका है खारिज : पिछले महीने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ईकॉमर्स कंपनियों के डिस्काउंट पर टैक्स लगाने का आयकर विभाग का आदेश खारिज किया था। विभाग ने डिस्काउंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर फ्लिपकार्ट को 2015-16 के लिए 110 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा था। **(साभार : दैनिक भाष्कर, 16.5.2018)**

जानिए, कब नकद संव्यवहार (लने-देन) को ना कहना है!

न करें.....
- एक दिन में किसी एक व्यक्ति से अथवा एक आयोजन या अवसर से संबंधित एक या अधिक संव्यवहार के लिए कुल रु 2,00,000 या इससे अधिक की नकदी स्वीकार न करें
- अचल संपत्ति के हस्तान्तरण के लिए रु 20,000 या इससे अधिक नकद न प्राप्त करें / न चुकाएं
- कारोबार/व्यवसाय के व्यय से संबंधित रु 10,000 से अधिक का नकद भुगतान न करें
- किसी पंजीकृत ट्रस्ट / राजनीतिक दल को रु 2,000 से अधिक का नकद दान/चन्दा न दें

इसका उल्लंघन करने पर कर / शास्ति लगाई जा सकती है

काले धन के बारे में कोई भी सूचना जिसमें अघोषित आय / संपत्ति (भारत और विदेश दोनों में) और बेनामी संव्यवहार के बारे में जानकारी शामिल है, क्षेत्राधिकारिक महानिदेशक / प्रधान आयकर निदेशक (अन्वेषण) को दी जा सकती है।

गो कैशलेस. गो क्लीन.

www.incometaxindia.gov.in
www.cleanmoney.gov.in
पर जाएं

टैक्सपेयर्स सर्विसेज मोड्यूल तथा मोबाइल एप्लीकेशन "आयकर सेतु" डाउनलोड करें

आयकर विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(साभार : हिन्दुस्तान, 16.6.2018)

अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले सेवा क्षेत्र पर नजर

केन्द्र बताएगा कितनी मंहगी हुई बैंकिंग-बीमा सेवाएँ

केन्द्र सरकार ने महंगाई के आंकड़ों को लेकर उलझन दूर करने का नया रास्ता खोजा है। इसके लिए सरकार अब उत्पादों और खाद्यान्नों को छोड़कर सेवाओं में आने वाली महंगाई के आंकड़े अलग से जारी करेगी। इससे पता चलेगा कि बैंकिंग, बीमा या रेल जैसी सेवा कितनी महंगी हुई।

अभी महँगाई आंकने के दो वरीके : अभी सरकार दो तरीके से महँगाई

का आकलन करती है। इसमें थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और खुदरा मूल्य सूचकांक शामिल हैं। हालांकि थोक मूल्य और खुदरा मूल्य में काफी अंतर होने से अक्सर भ्रम पैदा होता है। खुदरा मूल्य सूचकांक में खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं का औसत मूल्य होता है। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.5.2018)

क्या होता है 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन'

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने 11 सरकारी बैंकों को 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन' (पीसीए) में रखा है। इन बैंकों को पीसीए में रखने की जरूरत क्यों पड़ी और इससे निकलने को इन्हें क्या उपाय करने होंगे? आम ग्राहकों के लिए इसके क्या मायने हैं? 'जागरण पाठशाला' के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

आरबीआइ बैंकों को लाइसेंस देता है, नियम बनाता है और बैंक ठीक से काम करें इसकी निगरानी करता है। बैंक कारोबार करते हुए कई बार वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। इनकी संकट से उबारने को आरबीआइ समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करती है और फ्रेमवर्क बनाता है। 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन' (पीसीए) इसी तरह का फ्रेमवर्क है, जो किसी बैंक की वित्तीय सेहत का पैमाना तय करता है। यह फ्रेमवर्क समय-समय पर हुए बदलावों के साथ दिसम्बर, 2002 से चल रहा है। यह सभी व्यावसायिक बैंकों सहित छोटे बैंकों तथा भारत में शाखा खोलने वाले विदेशी बैंकों पर भी लागू है।

बैंकों को क्यों रखा जाता है पीसीए में: आरबीआइ को जब लगता है कि किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने को पर्याप्त पूंजी नहीं है, उधार दिए धन से आय नहीं हो रही और मुनाफा नहीं हो रहा है तो उस बैंक को 'पीसीए' में डाल देता है, ताकि उसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकें। कोई बैंक कब इस स्थिति से गुजर रहा है, यह जानने को आरबीआइ ने कुछ इंडिकेटर्स तय किए हैं, जिनमें उतार-चढ़ाव से इसका पता चलता है। जैसे सीआरएआर, नेट एनपीए और रिटर्न ऑन एसेट्स।

सीआरएआर : बैंकों के लिए सीआरएआर यानी 'कैपिटल टू रिस्क असेट रेश्यो' फिलहाल नौ प्रतिशत निर्धारित है। सीआरएआर से पता चलता है कि किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने को पूंजी पर्याप्त है या नहीं। यह बैंक की तरफ से दिए गए जोखिम भरे कर्ज के अनुपात में निकाला जाता है। अगर किसी बैंक का सीआरएआर इससे कम होता है तो उस बैंक की वित्तीय सेहत खराब मानी जाती है।

बैंको पर लग जाती हैं बंदिशें : इन इंडिकेटर्स के स्तर के आधार पर आरबीआइ तीन अलग-अलग रिस्क कैटेगरी में बैंकों को पीसीए में रखता है और उन पर कुछ बंदिशें लगाता है। मसलन जो बैंक रिस्क कैटेगरी टू में रखे जाते हैं वे न तो नई शाखा खोल पाते हैं और न ही उधार दे पाते हैं। जैसे आरबीआइ ने देना बैंक पर नया कर्ज देने पर रोक लगा दी है। वे ऊँची ब्याज दर पर जमाराशि भी नहीं ले पाते हैं। साथ ही भर्तियों पर भी रोक लग जाती है। आरबीआइ बनका स्पेशल ऑडिट कराता है। साथ ही इन बैंकों के प्रमोटरों यानी मालिकों को और पूंजी भी लगानी पड़ती है। हालांकि किसी बैंक के पीसीए में रखे जाने पर उसके ग्राहकों को फिक्र करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आरबीआइ ने 'बासेल मानको' के अनुरूप बैंकों की वित्तीय सेहत दुरुस्त रखने के लिए पीसीए फ्रेमवर्क बनाया है, ताकि बैंक अपनी पूंजी का सदुपयोग कर सकें और जोखिम का सामना करने को तैयार रहें। (साभार : दैनिक जागरण, 21.5.2018)

क्या है एक्सचेंज रेट?

जिस मूल्य (दर) पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से बदली जाती है उसे 'एक्सचेंज रेट' कहते हैं। अधिकांश देशों में एक्सचेंज रेट को दशमलव के बाद चार अंकों तक लिखते हैं। उदाहरण के लिए आठ जून, 2018 को एक डॉलर का मूल्य 67.5228 रुपये था। किसी भी देश की करेंसी का मूल्य बाजार में उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। जैसे एक सामान्य व्यापारी सामान की खरीद-फरोख्त करता है, वैसे ही फॉरिन एक्सचेंज मार्केट में विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय होता है। एक्सचेंज रेट दो प्रकार के हो सकते हैं- स्पॉट रेट यानी आज के दिन विदेशी मुद्रा का मूल्य और फॉरवर्ड रेट यानी भविष्य में किसी तारीख के लिए एक्सचेंज रेट।

असल में एक्सचेंज रेट में दो करेंसी होती हैं- बेस करेंसी और काउंटर करेंसी। इसे दो तरह से व्यक्त करते हैं। पहला तरीका, जिसमें बेस करेंसी किसी अन्य देश की होती है जैसे डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत। इसमें डॉलर बेस करेंसी है, जबकि रुपया काउंटर करेंसी। दूसरा तरीका, जिसमें घरेलू मुद्रा बेस करेंसी होती है और विदेशी मुद्रा काउंटर करेंसी। वैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिकांशत: एक्सचेंज रेट व्यक्त करते समय डॉलर को बेस करेंसी के तौर पर माना जाता है।

फ्लोटिंग या फिक्स्ड रेट : एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग या फिक्स्ड होते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज का मतलब यह है कि करेंसी का मूल्य बाजार के रुख पर तय हो रहा है और समय-समय पर इसमें उतार- चढ़ाव आ रहा है। कुछ देशों में सरकार एक्सचेंज रेट तय करती है, जिसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब की मुद्रा रियाल, जिसकी कीमत वहाँ की सरकार तय करती है।

रियल एक्सचेंज रेट : किसी भी करेंसी का रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट से भिन्न होता है। अक्सर आपने अखबार में पढ़ा होगा कि चीन ने अपनी करेंसी युआन को अंडरवैल्यू करके रखा है। इसका मतलब यह है कि युआन का जितना मूल्य होना चाहिए, उतना नहीं है। इसे समझने के लिए हम रियल एक्सचेंज रेट की मदद लेते हैं। इससे पता चलता है कि किसी देश की करेंसी का वास्तविक मूल्य क्या है। उदाहरण के लिए एक डॉलर की कीमत 6.8 युआन है। इस तरह डॉलर-युआन का नॉमिनल एक्सचेंज रेट 1/6.8 यानी 0.147 हुआ। मान लीजिए चीन में एक बर्गर की कीमत 20 युआन जबकि अमेरिका में 5.30 डॉलर है। इस तरह चीन में डॉलर में एक बर्गर की कीमत 20 गुणा 0.147 यानी 2.94 डॉलर होगी। चूँकि अमेरिका में एक बर्गर की कीमत 5.30 डॉलर है, इसलिए युआन और डॉलर का रियल एक्सचेंज रेट 2.94/5.3 यानी 0.55 होगा। इस तरह रियल एक्सचेंज रेट एक से नीचे आया। जिसका मतलब है कि डॉलर के मुकाबले युआन करीब 45 प्रतिशत अंडरवैल्यूड है। आदर्श स्थिति में रियल एक्सचेंज रेट एक होना चाहिए।

एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव का असर : किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव का गंभीर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर डॉलर के मुकाबले रुपये का एक्सचेंज रेट कमजोर हो रहा है यानी रुपये की कीमत गिर रही है तो इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पाद सस्ते हो जाएंगे और निर्यातकों को जो डॉलर प्राप्त होंगे उसके बदले यहाँ उन्हें अधिक रुपये मिलेंगे। हालांकि जो आयातक हैं, उन्हें कोई वस्तु आयात करने के लिए अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.6.2018)

क्या है 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिग'

राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं में आप अक्सर 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग' का जिक्र सुनते होंगे। यह रैंकिंग क्या होती है? इसमें उतार-चढ़ाव का क्या मतलब होता है? जागरण पाठशाला में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है किसी भी देश में कारोबार कितनी सरलता से शुरू किया जा सकता है। विश्व बैंक हर साल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वह 10 पैमानों पर 190 देशों की रैंकिंग करता है जिसे 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग' कहते हैं। इसका मकसद यह जानना है कि किस देश में कारोबार शुरू करना आसान है और किस देश में कठिन। जिन 10 पैमानों के आधार पर देशों की रैंक तय की जाती है वे हैं- बिजली कनेक्शन लेने में लगने वाला वक्त, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना, बिजनेस शुरू करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, दिवालियापन के मामले सुलझाना, कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, लोन लेने में लगने वाला वक्त, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा, टैक्स पेमेंट और ट्रेडिंग अक्रोस बॉर्डर शामिल हैं। एक 11 वाँ पैमाना 'श्रम बाजार के नियम' भी होता है लेकिन देशों की रैंकिंग तय करते समय इसके मूल्य को नहीं जोड़ा जाता। मोटे तौर पर समझें तो प्रत्येक देश में यह देखा जाता है कि वहाँ नया कारोबार शुरू करने में कितने दिन लग रहे हैं, कंस्ट्रक्शन परमिट लेने में कितना समय लग रहा है और बिजली कनेक्शन पाने में कितने दिन लग रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तैयार करने वाली टीम सरकारी अधिकारियों, कारोबारियों,

शिक्षाविदों, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से फीडबैक लेकर यह डाटा जुटाती है।

विश्व बैंक ने 2003 से डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू किया था। उस समय केवल पाँच पैमानों के आधार पर 133 देशों की रैंकिंग तैयार की जाती थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की नवीनतम रिपोर्ट पिछले साल अक्टूबर में आई थी, जिसमें 190 देशों की सूची में भारत 100 वें नंबर पर रहा। आम तौर पर प्रत्येक देश के सबसे बड़े व्यापारिक शहर से इन पैमानों पर आंकड़े लेकर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, लेकिन 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 11 देशों (बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका) के मामले में देश के दूसरे बड़े व्यापारिक शहर से भी डाटा लिया जाता है। उदाहरण के लिए विश्व बैंक जब भारत की रैंक तय करता है तो वह दो शहरों मुम्बई और दिल्ली से इन पैमानों पर आंकड़े जुटाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तमिलनाडु या गुजरात में कारोबार शुरू करना आसान है, वहाँ कंस्ट्रक्शन परमिट समय पर मिल रहा है, बिजली कनेक्शन भी जल्दी मिल जाता है लेकिन दिल्ली और मुम्बई में ऐसा नहीं है तो देश की रैंकिंग बेहतर नहीं होगी। यहाँ यह बात भी समझना जरूरी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एक जून से लेकर अगले साल 31 मई तक इन दस पैमानों पर उठाए गए सुधारात्मक कदमों को संज्ञान में लेकर तैयार की जाती है और अमूमन अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जारी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस साल जब विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अक्टूबर में जारी करेगा तो उसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पहली जून, 2017 से 31 मई, 2018 के बीच उठाए गए कदमों को संज्ञान में लिया जाएगा। (साभार : दैनिक जागरण, 28,5,2018)

सरकार व कंपनियों के लिए उधार लेने का जरिया है बांड

सरकार, नगर निकाय और कंपनियाँ समय-समय पर बाजार से उधार लेने के लिए बांड जारी करती हैं। दुनियाभर में कई प्रकार के बांड प्रचलित हैं। 'जागरण पाठशाला' में हम बांड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।

सरकार और कंपनियों के लिए बांड उधार लेने का एक तरीका है। हालांकि जो लोग बांड खरीदते हैं, उनके लिए यह निवेश का माध्यम है। बैंक लोन और इसमें अंतर यह है कि बांड जारी कर उधार लेने वाली संस्था उसे चुकाने का आश्वासन देती है। बांड की एक निश्चित फेस वैल्यू और 'मैच्योरिटी डेट' होती है। बांड जारी करने वाले को इसी तारीख पर निवेशक को उसके फेस वैल्यू का भुगतान करना होता है।

बांड पर फिक्स्ड या वेरिएबल ब्याज दर भी होती है, जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि पर होता है। जिस प्रकार स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। उसी प्रकार बांड भी जारी होने के बाद ओपन मार्केट में खरीदे-बेचे जा सकते हैं। बांड में निवेश करने में जोखिम कम होता है लेकिन 'जंक बांड' से सावधान रहना चाहिए क्योंकि जिन कंपनियों की वित्तीय सेहत खराब है, वे ऊँची ब्याज दर के साथ ऐसे बांड जारी करती हैं। निवेशकों को बांड पर जो रिटर्न मिलता है उसे 'बांड यील्ड' कहते हैं। 'बांड यील्ड' में जो उतार-चढ़ाव आता है उसे 'बेसिस पॉइंट' में व्यक्त करते हैं। एक प्रतिशत में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। बांड पर जो ब्याज दिया जाता है, उसे कूपन कहते हैं। यह बांड की फेस वैल्यू के प्रतिशत के रूप में व्यक्त होता है। हालांकि जब एक बांड पर निवेशक को कोई ब्याज नहीं मिलता है तो उसे 'जीरो कूपन बांड' कहते है। दरअसल बिक्री के समय इस बांड को फेस वैल्यू से कम राशि में निवेशक को दिया जाता है। जब इसके भुगतान का समय आता है तो कंपनी निवेशक को बांड पर अंकित मूल्य के बराबर भुगतान कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति ने बांड कम मूल्य पर खरीदा था और अब भुगतान उसे ज्यादा मिला है। यह अंतर उसके लिए ब्याज की तरह होता है। जिस मूल्य पर बांड को भूनाया जाता है उसे रिडंप्शन प्राइस कहते हैं। जब कोई कंपनी अपने बांड को वापस खरीदती है, तो उसे 'बाय बैक' कहते हैं। कई बार कंपनियाँ बांड को शेयर में बदलने का विकल्प देती हैं, जिसे 'कन्वर्टीबल बांड' कहते हैं।

प्रचलित हैं कई रोचक नाम : दुनियाभर में बांड के कई रोचक नाम प्रचलित हैं। जब एक बांड की फेस वैल्यू एक हजार डॉलर से कम होती है तो उसे 'बेबी बांड' कहते हैं। बेबी बांड अमेरिका में प्रचलित हैं। इसी तरह एक 'बेयरर बांड' भी होता है। बांड जारी करने वाली कंपनी के बही खाते में जब बांड खरीदने वाले का नाम पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती तो उसे 'बेयरर बांड ' कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बांड की अवधि पूरी होने पर जिस व्यक्ति के पास यह बांड होगा, कंपनी उसे ब्याज और मूलधन का भुगतान कर देगी। (साभार : दैनिक जागरण, 4,6,2018)

ट्रिपिंग की समस्या हो तो कॉल सेंटर में करें कॉल

गर्मी बढ़ने से एक ओर पेसू का लोड बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ट्रिपिंग की समस्या भी बढ़ रही है। कई क्षेत्रों से उपभोक्ताओं की बार बार शिकायत आ रही है कि फ्यूज कॉल सेंटर के नंबर पर फोन करने पर नंबर मिलता नहीं है या लोग उठाते नहीं है। इसी को देखते हुए पेसू ने फ्यूज कॉल सेंटर की एक अपडेट सूची तैयार की है और इसे आम लोगों के लिए जारी किया गया है।

इन नंबरों पर कर सकते हैं कॉल

फ्यूज कॉल सेंटर	नंबर
कदमकुआँ	7033190118
एक्जीबिशन रोड	7033190120
स्टेशन रोड	7033190122
जक्कनपुर	7033190136
अनिसाबाद	7033190138
बेऊर	9264456084
गर्दनीबाग	7033190140
पाटलिपुत्र कॉलानी	7033190112
राजापुर	7763814736
एस. के. पुरी	7033190114
ए. एन. कॉलेज	7033190116
खाजपुरा	7033190110
आशियाना नगर	7763814441
बांकीपुर	7033190142
राजेन्द्र नगर	7033190181
कंकड़बाग	7033190154
बहादुरपुर	7033190148

(साभार : प्रभात खबर, 13,5,2018)

बिल्डर डूबा तो संपत्ति में ग्राहकों का हिस्सा

कैबिनेट फैसला : दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में बदलाव को मंजूरी

घर खरीदारों के लिए केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत रियल एस्टेट कंपनी के दिवालिया होने पर नीलाम होने वाली उसकी संपत्ति में घर खरीदारों को भी हिस्सा मिलेगा। अब तक सिर्फ बैंकों को ही इसमें हिस्सा मिलता था।

यह फैसला दिल्ली-एनसीआर समेत तमाम शहरों में उन हजारों घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिनके पैसे आधे-अधूरे बने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं। ग्राहकों की शिकायतों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने दिवालिया कोड में बदलाव के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया था।

समिति ने सिफारिश की थी कि दिवालिया बिल्डर की संपत्ति बेचने पर उन घर खरीदारों को हिस्सा दिया जाए, जिन्हें पजेशन नहीं मिला है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि बिल्डर के दिवालिया होने पर घर खरीदारों को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर ये बदलाव न हुआ तो खरीदारों को न तो पैसे मिलेंगे और न ही घर मिलेगा।

हालांकि कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रोटोकॉल के तहत जबतक अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती वो कुछ भी बता नहीं सकते।

कई बिल्डरों ने आवासीय परियोजना के लिए प्राप्त धन को किसी अन्य कंपनी में लगा दिया। इससे उनके पास धन की कमी हो गई और प्रोजेक्ट में देरी हुई। इससे ग्राहकों को घर नहीं मिल पाया।

ग्राहकों को बड़ा लाभ : बिल्डरों की संस्था क्रेडाई के मुताबिक अगले पाँच वर्षों में देश में करीब 42 लाख नए घरों की बिक्री की संभावना है। इस नजरिए से आईबी कोड में किया गया बदलाव बड़ा मायने रखता है। संशोधन से ग्राहकों की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।

अध्यादेश लाया जाएगा : संसद सत्र न होने के चलते केन्द्र सरकार कमेटी की ओर से सुझाए गए इन बदलावों को अध्यादेश के जरिए लागू करेगी। बदलावों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। (हिन्दुस्तान, 24.5.2018)

अब सुधा दूध की तरह होगी सब्जियों की मार्केटिंग

सुधा दूध की तर्ज पर गाँव-गाँव में समितियाँ गठित कर सूबे में सब्जियों की मार्केटिंग होगी मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए 30 सदस्यीय दल दिल्ली के मदर डेयरी में सब्जी की मार्केटिंग के लिए प्रशिक्षण ले रहा है। प्रशिक्षण दल का नेतृत्व सब्जी अधिप्राप्ति प्रमुख अभय झा और नोडल पदाधिकारी संजय कुमार कर रहे हैं। सुधा की तरह सब्जियों का एक ब्रांड तय होगा और वह रिटेल काउंटरों पर मिलेगी। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 23.5.18)

ऑनलाइन ड्रग लाइसेंस देने वाला 15वाँ राज्य बना बिहार

बिहार में ड्रग (दवा) लाइसेंस ऑनलाइन देने की शुरूआत हो गयी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राज्य स्वास्थ्य समिति के सभागार में इस सुविधा का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर लाल बाजार, बेतिया के न्यू भगवती ड्रग्स सहित हछ प्रतिष्ठानों की ऑनलाइन पद्धति से लाइसेंस प्रदान किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ड्रग लाइसेंस देने पर पिछले पंद्रह महीने से लगी रोक अब हट गयी है। आवेदक नये लाइसेंस के लिए xln.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही बिहार ऑनलाइन ड्रग लाइसेंस देने वाला देश का 15वाँ राज्य बन गया है। (साभार : प्रभात खबर, 19.5.2018)

प्रति व्यक्ति आय वृद्धि राष्ट्रीय दर से अधिक

बिहार में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही है। इस वित्तीय वर्ष में वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति सालाना आय 35 हजार 590 रुपए रही, जो गत वर्ष की तुलना में 13.15 फीसदी अधिक है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 9.65 फीसदी रही। योजना एवं विकास विभाग के मंत्री रजीव रंजन सिंह ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि वर्तमान मूल्य पर राज्य की वार्षिक वृद्धि दर 14.82% जबकि देश की 10.82% है। (साभार : हिन्दुस्तान, 19.5.2018)

अब पर्यावरण के अनुकूल वस्तुएँ खरीदेगी सरकार

सरकारी खरीद में अब ऐसे उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और जिनमें बिजली की खपत कम है। वित्त मंत्रालय एक 'सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी' बना रहा है, जिसके लागू होने के बाद सरकारी विभागों में ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को तवज्जो दी जाएगी जिनका इस्तेमाल पर्यावरण के हित में है। मंत्रालय ने इस संबंध में एक टास्क फोर्स गठित की है, जो इसी महीने अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार दुनियाभर में 40 से अधिक देशों में 'सस्टेनेबेल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी' लागू है। भारत में फिलहाल ऐसी कोई नीति नहीं है। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 9.5.2018)

आर्म्स लाइसेंस लेने के पहले लेनी होगी ट्रेनिंग

आर्म्स का लाइसेंस लेने के पहले अब लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी होगी। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से सूबे में लागू कर दिया गया है। हालाँकि प्रदेश में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए कोई भी नोटिफाइड सेंटर नहीं है। इसीलिए आर्म्स का लाइसेंस कैसे दिया जाए, इस पर विचार चल रहा है। फिलहाल सभी जिला पुलिस मुख्यालयों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की तैयारी चल रही है।

नए आर्म्स लाइसेंस के आवेदन में फॉर्म एस - 1, रूल - 10 में वर्णित किया गया है कि लाइसेंस देने के पहले हथियार चलाने की ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र जरूरी है। अफसरों का कहना है कि नियमावली तो बना दी गई लेकिन प्रदेश में इस आलोक में लाइसेंस देना कठिन है। इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। पटना में 9500 लोगों के पास आर्म्स का लाइसेंस है। लगभग एक हजार आवेदन लंबित हैं। लंबित आवेदन नयी नियमावली के अनुसार ही निष्पादित होंगे।

बिहार में नोटिफाइड ट्रेनिंग सेंटर : नियमावली के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा नोटिफाइड सरकारी या प्राइवेट आर्म्स ट्रेनिंग सेंटरों से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। ट्रेनिंग प्रमाणपत्र देने के बाद ही आर्म्स का लाइसेंस निर्गत होगा। पर दिक्कत यह है कि राज्य में मंत्रालय द्वारा नोटिफाइड एक भी सेंटर नहीं है। ऐसे में नयी नियमावली को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मुख्यालयों में ही लोगों को ट्रेनिंग देने पर विचार चल रहा है। (साभार : हिन्दुस्तान, 24.5.2018)

पाइप लाइन से जुड़ेंगे तीन इंडेन एलपीजी बोटलिंग प्लांट

पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर इंडेन एलपीजी पाइप लाइन निर्माण को लेकर हथिदह टाल में 12.5.2018 भूमि पूजन हुआ। इंडियन ऑयल एलपीजी बोटलिंग प्लांट को सीधे पाइप लाइन से जोड़ने का काम करेगी। इसमें बिहार के तीन इंडेन एलपीजी बोटलिंग प्लांट गिद्धा (आरा), मुजफ्फरपुर और बांका शामिल हैं। भूमि पूजन समारोह में आईओसी पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी) जेपी सिन्हा ने कहा कि फिलहाल दो बोटलिंग प्लांट गिद्धा व मुजफ्फरपुर में सिलिंडर में गैस रिफलिंग प्लांट चालू हैं। इनमें टैंकर से गैस की आपूर्ति की जा रही है, जबकि बांका बोटलिंग प्लांट निर्माणाधीन है। मोकामा में एलपीजी पाइप लाइन का टी प्वाइंट बनाया जा रहा है। भविष्य में इस इलाके की विकास में यह कारगर साबित होगा। दुर्गापुर बोटलिंग प्लांट से होकर पाइप लाइन बांका बोटलिंग प्लांट को जोड़ते हुए मोकामा तक पहुँचेगी।

(साभार : प्रभात खबर, 13.5.2018)

जिलों में खुलेंगे मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल

बिहटा में ऑटोमेटेड व्हीकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग सेंटर बनेगा

राज्य के हर जिले में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे। बिहटा में ऑटोमेटेड व्हीकल इंस्पेक्शन एण्ड टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। उबर और ओला जैसी टैक्सियों के परिचालन के लिए सरकार नीति बनाएगी। सुल्तान पैलेस और बांकीपुर बस डिपो की जमीन को पर्यटन विभाग के हवाले किया जा सकता है। परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही ऐसे निर्णय लिए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री बोले : • सुल्तान पैलेस व बांकीपुर बस डिपो की भूमि पर्यटन विभाग के हवाले होगी • सुशील मोदी ने परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 25.5.2018)

सासाराम में एयरपोर्ट के लिए पर्यटन मंत्रालय ने मांगा प्रस्ताव

एक बार फिर सासाराम में एयरपोर्ट बनने की उम्मीद जगी है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार से शीघ्र प्रस्ताव भेजने को कहा है, ताकि हवाई अड्डा निर्माण की अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन के सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि ऐतिहासिक व पर्यटन के दृष्टिकोण से सासाराम शहर महत्वपूर्ण है। यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण आवश्यक है। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 21.5.2018)

गुटखा व पान मसाला पर प्रतिबंध की अवधि एक साल बढ़ी

राज्य सरकार ने प्रदेश में गुटखा एवं पान मसाला की खरीद-बिक्री, निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त संजय कुमार द्वारा 21 मई से प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी किया गया। इस संदर्भ में सभी अभिहित अधिकारियों एवं खाद्य संरक्षा अधिकारियों को गुटखा एवं पान मसाला की खरीद-बिक्री को रोकने के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला पकड़े जाने पर प्रावधान के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। (साभार : दैनिक जागरण, 23.5.2018)

रेलवे बिहार सरकार को 221 करोड़ रुपये में देगी आर ब्लॉक-दीघा रेल लाइन की जमीन

71 एकड़ जमीन पर सड़क बनाने को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिले उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नई दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर पटना के आर ब्लॉक-दीघा रेल लाइन की 71 एकड़ जमीन सड़क निर्माण के लिए बिहार सरकार को सौंपने को आग्रह किया। रेल मंत्री ने शीघ्र ही जमीन के हस्तांतरण की औपचारिकता पूरी करने का आश्वासन दिया। 150 साल पुरानी रेल ट्रैक की छह किलोमीटर लम्बी और 30 मीटर चौड़ाई की जमीन का पुनर्मूल्यांकन करा कर बिहार सरकार रेलवे को 221 करोड़ रुपये देने पर सहमत है।

इन 71 एकड़ जमीन का पहले रेलवे ने बाजार दर पर 896 करोड़ रुपये मूल्य तय किया था, मगर केन्द्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद इसके पुनर्मूल्यांकन के बिहार सरकार के प्रस्ताव को रेलवे ने स्वीकार कर लिया जिसके आधार पर पुनर्मूल्यांकित दर 221 करोड़ रुपये तय किया गया है।

अँग्रेजों के जमाने की है दीघा-पटना रेल लाइन : पटना से दीघा घाट तक बनी रेल लाइन अँग्रेजों के जमाने की है। ब्रिटिश काल में कच्चे माल के परिवहन के लिए 1862 ई. में दीघा घाट से पटना घाट तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। दोनों स्टेशनों के बीच में एक स्टेशन बनाया गया था जिसका नाम बांकीपुर रखा गया। यही बांकीपुर स्टेशन आज का पटना जंक्शन है। बांकीपुर से दीघा घाट तक माल ढोने के लिए ट्रेन सेवा की शुरूआत की गई थी। दीघा घाट से पानी वाले जहाज से सामान आगे जाता। अँग्रेजों के जाने के बाद इस रेलखंड से भारतीय खाद्य निगम का अनाज ढोया जाने लगा मगर धीरे-धीरे यह भी बंद हो गया।

2004 में लालू प्रसाद ने दोबारा शुरू की रेल सेवा : लंबे समय तक रेलखंड स्थानीय लोगों के कब्जे में रहा। 2004 में रेलमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद ने इस रेलवे लाइन को पूरी तरह से खाली करवाया और आर ब्लॉक दीघा रेल सेवा की शुरूआत करवाई। तब से ये रेलसेवा आज तक जारी है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 21.5.2018)

15 जुलाई, 2018 को 51 जोड़े का सामुहिक विवाह

माँ वैष्णों देवी सेवा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी आगामी 15 जुलाई, 2018 को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आर्थिक रूप से कमजोर युवक-युवतियों का सामुहिक विवाह सम्पन्न कराने का संकल्प लिया गया है।

इस आदर्श विवाह के अवसर पर समाज के प्रबुद्ध एवं प्रतिष्ठित विभूतियों द्वारा नव-विवाहित जोड़ों को आशीष प्रदान किया जायेगा एवं नव-दम्पत्तियों को अपनी गृहस्थी आरम्भ करने हेतु आवश्यक सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

आर्थिक मजबूरी के फलस्वरूप जिन युवक-युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा हो, वे निम्नांकित मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं :-
9334030445, 9204719554, 9430061498, 9431011595, 9334339489

विनम्र-निवेदन

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु माननीय सदस्यों को सदस्यता शुल्क का विपत्र भेजा जा चुका है। अधिकांश सदस्यों ने सदस्यता शुल्क का भुगतान कर दिया है। जो सदस्य अभी तक सदस्यता शुल्क नहीं भेज पाये हों, यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।

बधाई

चैम्बर के सदस्य एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल आध्यात्मिक सत्संग समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।
चैम्बर की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई।

सेंट्रल की तर्ज पर बिहार में बनेगा रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट

प्रस्ताव को वित्त विभाग से मिली स्वीकृति, अब कैबिनेट जाएगा

दिल्ली स्थित सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तर्ज पर सूबे में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। पथ निर्माण विभाग की देख-रेख में स्थापित होने वाले इस संस्थान के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया है। संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तय योजना के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की मदद से इस संस्थान को विकसित किया जाएगा।

पटना सिटी के गाय घाट में स्थापित होगा संस्थान

पथ निर्माण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना सिटी के गाय घाट में विकसित किया जाएगा। गाय घाट में पथ निर्माण विभाग का पुराना प्लाट है जो अब उपयोग में नहीं है। काफी बड़े रकबे में प्लाट की जगह काफी दिनों से पड़ी है। इस जमीन पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित होगा। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 21.5.2018)

जाड़े में भी पटना से हवाई सफर होगा आसान, विमानों के लेट होने पर मिलेगा विकल्प

पिछले दिसम्बर-जनवरी में जब धुंध व कोहरे के कारण विमान परिचालन पूरी तरह अस्त व्यस्त रहा, पटना एयरपोर्ट पर हर दिन कई ऐसे मामले सामने आते रहे, जब विमान कंपनियों ने फ्लाइट कैंसिल करने के बाद यात्रियों को गंतव्य तक भेजने की सुविधाजनक व्यवस्था नहीं की। कोहरा और दूसरी मौसमी परेशानियाँ ही नहीं अन्य वजहों से फ्लाइट रद्द होने पर भी विमान कंपनियों ने टिकट रिशिड्यूलमेंट के समय ग्राहकों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा, जिससे उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने के लिए दो से तीन गुनी तक अधिक कीमत देकर दूसरे एयरलाइंस से टिकट खरीदना पड़ा, लेकिन आगे ऐसा करना संभव नहीं होगा।

नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने एक नया पैसेंजर ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत विमान कंपनियों को अब फ्लाइट में देरी या कैंसिल होने पर यात्रियों को आगे की यात्रा का सुविधाजनक विकल्प देना पड़ेगा। इसमें फुल टिकट रिफंड के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की रकम भी शामिल होगी। विदित हो कि डीजीसीए ने पहले से इस संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। लेकिन एयरलाइन उनका सही रूप में पालन नहीं करतीं। नये पैसेंजर ड्राफ्ट के कानून बनने के बाद इनका पालन अनिवार्य होगा।

पैसेंजर ड्राफ्ट में यात्रियों को दी गयीं नयी सुविधाएँ : • घरेलू मार्ग पर टिकट बुक कराने के 24 घंटे के अंदर यदि कोई यात्री अपना टिकट रद्द करवाता है, तो उसे कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा • 24 घंटे के अंदर यदि कोई यात्री अपनी यात्रा की तिथि व समय में परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए रिशिड्यूलमेंट चार्ज नहीं देना होगा • डिपार्चर टाइम से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसिलेशन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। (विस्तृत : प्रभात खबर, 24.5.2018)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Shivada Enterprises, Pt. : 0612-2687096